वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023

(Annual Administrative Report 2023)

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला

गृह विभाग, राजस्थान सरकार

STATE FORENSIC SCIENCE LABORATORY

Home Department, Govt. of Rajasthan

फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जयपुर

डी.एन.ए.भवन, जयपुर

लक्ष्य

अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से अपराध के अकाट्य साक्ष्य उपलब्ध करवाकर आपराधिक न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना।

भावी दृष्टि

अपराधी के तेजी से बढ़ते हुए संसाधन, कौशल, चातुर्य, निपुणता एवं वर्तमान पारिदृश्य में अपराधी द्वारा अपराध किये जाने में प्रयुक्त संसाधनों व अपराध की जटिलताओं को दृष्टिगत रखते हुए अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निरन्तर तकनीकी सुदृढ़ीकरण किया जाना, जिससे अपराधी की शीघ्रातिशीघ्र पहचान सुनिश्चित की जाकर अपराधी को अपराध से जोड़ने में वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध करवाये जा सके। भौतिक साक्ष्य के फोरेंसिक महत्त्व से पुलिस, अभियोजन व न्यायपालिका को अभिज्ञानित कराना ताकि अपराध उन्मूलन में प्रभावी योगदान देते हुए अपराध सिद्धि की दर में वृद्धि हो सके।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	सार संक्षेपः वैधानिक स्थिति, कार्य प्रणाली एवं प्रशासनिक परिदृश्य	2–3
2.	प्रकरणों का निष्पादन	3
3	तकनीकी सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास	3–9
4.	राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाः अपराध अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका	10
5.	ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः चरणबद्ध विकास	11
6.	संगठनात्मक चार्ट– परीदृश्य	12
7.	संगठनात्मक स्वरूप	13
8.	नियमित बजट एवं आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत राशि	14
9.	प्रकरण सांख्यिकी	15–16
10.	महत्त्वपूर्ण प्रकरण	17–25
11.	घटना स्थल निरीक्षण : महत्त्वपूर्ण प्रकरण	26–34
12.	राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं क्षैत्रीय प्रयोगशालाओं का पता व दूरभाष	35
13.	विशेष पहल,वर्ष 2023 की प्रमुख उपलब्धियाँ एवं भविष्य की योजना	35
14.	झलक 2023	36

सार संक्षेप : राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला
वैधानिक स्थिति,कार्यप्रणाली एवं प्रशासनिक परिदृश्य

वैधानिक स्थिति

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45ः न्यायालय को तकनीकी प्रश्नों पर तथ्यात्मक निष्कर्ष एवं विवरण प्रस्तुत करने हेतु विशेषज्ञ राय विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

राजकीय फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 293 के अन्तर्गत बिना व्यक्तिगत उपस्थिति के न्यायालय की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में मान्य है। धारा 293 (4) में किसी केन्द्रीय अथवा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक, उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक को राजकीय वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में परिभाषित किया गया है।
च

फोरेंसिक विशेषज्ञः एफ.एस.एल. में विज्ञान की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव धारित व्यक्ति ही विशेषज्ञ हैं। विशिष्ट योग्यताधारित अपराध की विशेषज्ञ भौतिक साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर फोरेंसिक रिपोर्ट देते हैं जो संबंधित जांच एजेन्सी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है।

कार्यप्रणाली

पारदर्शिता व गुणवत्ता बनाये रखने के लिये घटनास्थल व प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा एक 'टीम वर्क' के रूप में निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैंः–

1. अपराध संबंधित वैज्ञानिक साक्ष्यों की पहचान हेतु घटनास्थल का निरीक्षण।
2. जाँच अधिकारी को भौतिक साक्ष्य के वैज्ञानिक महत्व व अपराध सिद्धि मे इससे प्राप्त होने वाली साक्ष्य बाबत् अवगत कराना।
3. घटनास्थल, संदिग्ध/आरोपी एवं पीड़ित से प्राप्त अपराध प्रादर्शों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर फोरेंसिक परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करना।
4. वैज्ञानिक साक्ष्यों को श्रृंखलाबद्ध कर अपराधी को अपराध से जोड़ने, अपराध कारित करने की विधि व उद्‌देश्य का स्थापित करने में योगदान।
5. माननीय न्यायालयों में आवश्यकातुसार साक्ष्य प्रस्तुतीकरण।

इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला के विशेषज्ञों द्वारा पुलिस तथा न्यायिक अधिकारियों व अन्य जांच ऐजेंसियों के अन्वेषण अधिकारियों को अपराध अनुसंधान सम्बंधी प्रशिक्षण/ व्याख्यान दिये जाते हैं जिससे प्रयोगशाला द्वारा अपराध अनुसंधान में दी जा रही सहायता की महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सकें।

प्रयोगशाला में प्रादर्शों का परीक्षण एवं विश्लेषण कार्य, विभिन्न विषयों से सम्बंधित अनुभागों में उनके लिए "डायरेक्ट्रेट ऑफ फोरेंसिक साईन्स सर्विसेज, गृह मंत्रालय, भारत सरकार" द्वारा निर्धारित मेनुअल्स के अनुसार पूर्ण गोपनीयता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाता है। प्रत्येक अनुभाग स्तर पर प्रशासनिक एवं वैज्ञानिक कार्यों का पर्यवेक्षण उपनिदेशक/सहायक निदेशक द्वारा किया जाता है। सहायक निदेशक, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक/ कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, प्रयोगशाला सहायक एवं अन्य सहायक स्टाफ को मिलाकर एक वर्किंग यूनिट का गठन किया जाता है।

एफ.एस.एल. में प्रकरणों के परीक्षण का कार्य सामान्यतः "फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व" आधार पर किया जाता है। विशेष परिस्थितियों जैसे न्यायालय में केस की सुनवाई निर्णय की स्टेज पर होने, आरोपी के न्यायिक अभिरक्षा में होने या जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित होने, न्यायालय अथवा अनुसंधान की कार्यवाही बिना एफ.एस.एल. रिपोर्ट के आगे नहीं बढ़ पाने अथवा प्रकरण के सामाजिक तौर पर अतिसंवेदनशील होने के कारण कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के मामलों

इत्यादि में प्राथमिकता पर भी परीक्षण किया जाता है। अति–संवेदनशील मामलों में प्राथमिकता पर परीक्षण की व्यवस्था भी रखी गई है। वैज्ञानिक जांच में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए विशेषज्ञों द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि प्रकरण की रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र दी जा सके।

प्रशासनिक परिदृश्य

जयपुर मुख्यालय पर उच्च तकनीकी व आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित राजस्थान की मल्टीडिस्प्लीनरी प्रयोगशाला एवं समस्त संभागों पर स्थित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण निदेशक द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2006 से प्रयोगशाला राज्य सरकार के गृह विभाग के नियंत्रणाधीन कार्य कर रही है एवं वर्ष 2010 में निदेशक को विभागाध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है।

क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के सामान्य प्रशासनिक कार्य अतिरिक्त निदेशक/उपनिदेशक स्तरीय अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जाते है।

वर्तमान में जयपुर मुख्यालय पर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं अन्य सभी संभागीय मुख्यालयों –जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर व भरतपुर पर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालायें तथा राज्य के जिला मुख्यालयों पर 34 जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स कार्य कर रही हैं। जयपुर स्थित शीर्षस्तरीय मुख्य प्रयोगशाला में विधि विज्ञान के 13 विषयों में, क्षेत्रीय स्तर की प्रयोगशालायें जोधपुर में 6, अजमेर व बीकानेर में 5, उदयपुर, कोटा व भरतपुर में 4 खण्डों में परीक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था है।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग के कुल 439 पद स्वीकृत है, मंत्रालयिक एवं लेखा संवर्ग के 43, वाहन चालक एवं सहायक संवर्ग के 54 पद स्वीकृत है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग के वर्तमान में 185 पद रिक्त हैं जिन को भरे जाने की प्रक्रिया प्राथमिकता पर जारी है।

प्रकरणों का निष्पादन

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर एवं क्षेत्रीय स्तर की जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर एवं भरतपुर की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2023 में 44553 अपराध प्रकरणों के 4,71,006 प्रादर्शों का विभिन्न वैज्ञानिक विधियों से परीक्षण किया गया एवं फोरेंसिक रिपोर्ट्स उपलब्ध कराई गई। वर्ष भर ऐसे प्रकरणों की संख्या अधिक रही जिनमें अपराध के तरीके सामान्य से जटिल थे और सामाजिक तौर पर अधिक संवेदनशील थे। प्रकरणों के परीक्षण के आंकड़े परिशिष्ठ में खण्डानुसार दर्शाये गये हैं।

फोरेंसिक रिपोर्ट्स से जहां एक ओर अपराध अन्वेषण को दिशा देने में सहयोग प्रदान किया गया वहीं दूसरी ओर न्यायालयों में अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध साबित करने में महत्त्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध कराये गये हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में माननीय न्यायालयों द्वारा एफ.एस.एल. की 'एक्सपर्ट रिपोर्ट' के आधार पर अपराधियों को सजा सुनाई हैं।

एफ.एस.एल. वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2023 में कुल 1961 अपराध घटनास्थलों को निरीक्षण किया गया।

तकनीकी सुदृढ़ीकरण

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान ने उन्नत वैज्ञानिक सुविधाओं को विकसित किए जाने के फलस्वरूप न केवल तकनीकी श्रेष्ठता अर्जित की है अपितु अपने द्वारा जारी श्रेष्ठ एवं गुणवत्तायुक्त परीक्षण रिपोर्ट के कारण भारत की उच्च कोटि की अग्रणी प्रयोगशालाओं में अपना स्थान बना लिया है।

तकनीकी सुदृढ़ीकरण व गुणवत्ता आधार पर अनेक राष्ट्रीय स्तरीय जांच एजेंसी जैसे– एन.आई.ए., सी.बी.आई. एवं भारतीय सेना द्वारा भी

एफ.एस.एल. राजस्थान में फोरेंसिक परीक्षण कराया जा रहा है। वर्तमान में प्रयोगशाला आतंककारी, हिंसक, तस्करी, आर्थिक अपराध, घूसखोरी, भूमाफिया, जालसाजी, मादक, विस्फोटक, वन्यजीव अपराध, साइबर अपराध, जाली मुद्रा एवं अन्य संगठित अपराधों के प्रादर्शो की जाँच में सक्षम है। प्रयोगशाला में विशिष्ट फोरेंसिक क्षेत्रों में कुल 13 खण्ड है, जिनमें अपराधों की जाँच, भौतिक साक्ष्य एवं उपकरणों आदि का विवरण निम्न प्रकार है–

डी.एन.ए. खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**–हत्या, दुष्कर्म, पोक्सो अपराध, सामूहिक बलात्कार, नवजात शिशु की अदला–बदली, संदिग्ध पैतृकता, व्यक्ति की सुनिश्चित पहचान, गुमशुदगी, बम विध्वंश, आतंकी एवं आपदा विध्वंशात्मक घटना, मानव तस्करी आदि से सम्बन्धित अपराध इत्यादि ।

डीएनए लैब में उपकरणों पर कार्य करते वैज्ञानिक

क्यूआरटी डी.एन.ए टीम– विशेष रूप से 12 वर्ष आयु तक के अबोध बालक–बालिकाओं के साथ हुये दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार, हत्या आदि से सम्बन्धित अपराध प्रकरणों में त्वरित डीएनए परीक्षण हेतु।

जीन सीक्वेंसर पर डीएनए एनालिसिस करती क्यूआरटी

(2) **भौतिक साक्ष्यः**–शारीरिक द्रव जैसे रक्त, वीर्य, लार आदि लगे कपड़े, टीश्यू, अस्थियाँ, दाँत, बाल, सिगरेट–बीड़ी, गुटका, लिफाफा व च्यूइंगम पर उपस्थित लार, टूथब्रश, त्वचा, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, भ्रूण, सड़े–गले, क्षत–विक्षत या आंशिक जले शव अवशेष से अथवा बम–विध्वंश के उपरांत प्राप्त शव के उत्तक–अंग, मिट्टी आदि।

(3) **उपकरणः**–ऑटोमेटेड डी.एन.ए. एक्सट्रेक्टर, पी. सी.आर., जेलडॉक सिस्टम, रियल टाइम पी.सी.आर, जीन सिक्वेंसर, रेफ्रीजरेटेड माइक्रोसेन्ट्रीफ्यूज मशीन, लेमीनर फ्लो, क्वान्टस, प्लेटसेन्ट्रीफ्यूज, शेकिंग वाटरबाथ आदि।

जैविक खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**–बलात्कार, दुष्कर्म, हत्या, आत्महत्या, आग से जलने, डूबना, मृत्योपरान्त समयान्तराल, अपहरण, चोरी–डकैती के धारा 302, 307, 376, 377, 363, 366, 498ए, 304बी आईपीसी, 174, 176 सीआरपीसी से सम्बन्धित व एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, राज. गोवंश संरक्षण एक्ट आदि से सम्बन्धित अपराध आदि।

रिसर्च माइक्रोस्कोप पर दुष्कर्म के प्रकरणों का परीक्षण करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्य** :–वीर्य के धब्बे युक्त कपड़े, वेजाइनल व यूरेथ्रल स्वाब–स्मीयर, अन्य शारीरिक द्रव जैसे रक्त लार आदि लगे कपडे बाल, सिगरेट, बीड़ी, गुटका आदि पर लार, अस्थियाँ, दाँत, कपाल, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, सडे गले, क्षत–विक्षत या आंशिक जले शव अवशेष से प्राप्त उत्तक–अंग, त्वचा, भ्रूण, उल्टी, माहवारी रक्त, गर्भपात के समय का रक्तस्राव, भ्रूण, विसरा में डायटम, नारकोटिक पौधे जैसे भाँग–गाँजा, डोडा पोस्त आदि, नकली सिगरेट, बीड़ी, गुटका के तम्बाकू, नकली चाय, कीटों वानस्पतिक पदार्थ जैसे पत्तियां, रेशे, लकड़ी, बीज, परागकण आदि, पक्षियों के अंग, जन्तुओं के मांस, बाल, हड्डियां, खुर, सींग, चमड़ा, हाथी दाँत आदि।

(3) **उपकरणः**–हाईरिजोल्यूशन कम्प्यूटराइज्ड रिसर्च माइक्रोस्कोप, सुपर इम्पोजीशन डिवाइस,

हाईरिजोल्यूशन कम्प्यूटराइज्ड स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप, कम्पेरिजन माइक्रोस्कोप, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन, माईक्रोटोम, ऑवेन, इन्क्यूबेटर, डीप फ्रीजर आदि।

साईबर फोरेन्सिक खण्ड

(1)जाँच की प्रकृतिः—इंटरनेट जनितई—कॉमर्स सम्बन्धित आर्थिक अपराध, ई—बैंकिंग धोखाधड़ी,सोशल मीडिया पर होने वाले अपराध,तस्करों / जासूसों / घुसपैठियों / आतंकियों से सम्बंधित संवेदनशील तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित अपराधों / साईबर अपराधों, महिला अशिष्ट निरुपेण, ब्लैकमैलिंग, मानहानी, डाटा हाईडिंग / टेंपरिग / डिलीशन, फेक डॉक्यूमेंट, धोखाधड़ी, जुआ—सट्टेबाजी, हैकिंग, पोर्नोग्राफी, मनी लॉण्डरिंग,स्नीफिंग, स्टेग्नोग्राफी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, जैसे साईबर अपराधों के अतिरिक्त विडियो ऑथेंटिकेशन, सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य सामान्य अपराधों जिसमें प्रयुक्त कम्प्यूटर, मोबाईल तथा मेमोरी स्टोरेज मय इलेक्ट्रोनिक उपकरण / प्रोग्रामयुक्त इलेक्ट्रोनिक उपकरण आदि से सम्बंधित अपराध।

साईबर लैब में अत्याधुनिक उपकरणों पर कार्य करते वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्यः—साईबर / कम्प्यूटर क्राइम सेसम्बन्धित समस्त प्रोगामयुक्त इलेक्ट्रॉनिक / मेमोरी स्टोरेज युक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाईलफोन, टैबलेट सिमकार्ड, पेनड्राईव, मेमोरीकार्ड, मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन, ए.टी.एम.मशीन, मैग्नेटिक एवं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड स्वैपिंग मशीन, सॉफ्टवेयर इत्यादि।

(3) उपकरणः—कम्प्यूटरफोरेंसिक सॉफ्टवेयर / हार्डवेयर—एनकेस फोरेंसिक वर्जन 23. 3,एफ.टी.के. इंटरनेशनल वर्जन 7.5, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, हाई स्पीड क्लोनर / इमेजिंग डिवाइस। मोबाईल फोरेंसिक सॉफ्टवेयर—एक्स. आर. वाई. वर्जन 10.7.1, मैगनेट एक्जीओम वर्जन 7.6, डीवीआर एक्जामिनर वर्जन 3.10,वी.डी. एक्सपर्ट विडियो ऑथेन्टिकेशन सॉफ्टवेयर, इमेजिंग डिवाईस : टी.एक्स 3, फालकॉन, लॉजीक्यूब डोजियर आदि।

सीरम खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**—रक्त से सम्बन्धित हिंसक अपराध, हत्या, प्रहार, दुष्कर्म, नवजात शिशु की अदला—बदली, संदिग्ध पैतृकता, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, राजस्थान गोवंशीय संरक्षण एक्ट आदि की धारा 302, 307,323, 376, 377, 201 आईपीसी से सम्बन्धित अपराध इत्यादि।

(2) **भौतिक साक्ष्यः**—शारीरिक द्रव जैसे रक्त लगे कपड़े, टीश्यू, अस्थियाँ, दाँत, बाल, सिगरेट—बीड़ी, गुटका पर उपस्थित लार, त्वचा, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, मिट्टी एवं विभिन्न प्रकार के हथियार आदि।

(3) **उपकरण** :—माइक्रोस्कोप, ऑवेन, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि।

रिसर्च माइक्रोस्कोप पर रक्त समूह की जाँच करते वैज्ञानिक

भौतिक खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**—वाहन चोरी, सेंधमारी, डकैती, लूट—पाट, अपहरण, औद्योगिक एवं वाहन दुर्घटना, हत्या, टक्कर मारकर भागना, सड़क, बाँध, पुल, भवन सामग्री में मिलावट, आगजनी एवं शॉर्ट सर्किट, आरपीजीओ, स्टिंग ऑपरेशन, भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों में मांग सत्यापन, रिश्वत लेनदेन से संबंधित ऑडियों फाईल्स् का ऑथेन्टीकेशन व आरोपी / परिवादी की आवाज का मिलान, 420 आईपीसी जालसाजी, कापीराईट एक्ट।

Acustek TD-EXPERT उपकरण पर आवाज का विश्लेषण करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्य** :—मोटर कार, काँच, पेंट, मिट्टी, जूते/टायर निशान, औजार चिन्ह, रेशे, कपड़े, रस्सी, रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट से छेड़—छाड़, आग्नेय शस्त्र व वाहनों के इंजन/चेसिस नम्बर, नकली सामान, विद्युत आघात, विद्युत चोरी, अभियांत्रिक मशीन के भाग एवं औजार, भवन एवं औद्योगिक भवन का गिरना, सीमेंट कंकरीट, ईंट व अन्य सड़क सामग्री, सरिया, आवाज (ऑडियो) विश्लेषण द्वारा अपराधी की पहचान, फाँसी फंदा, कट मार्क्स, जुआ खेल, आगजनी, कॉपी राईट आदि।

सेमई.डी.एक्स. उपकरण पर परीक्षण करते वैज्ञानिक।

(3) **उपकरणः**—ग्रीम, स्केनिंग इलेक्ट्रोन माईक्रोस्कोप, एक्स.आर.एफ., कम्प्यूटराईज्ड स्पीच लैब (मॉडल—4500), ऑडियो ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर (Acustek TD-EXPERT 6.0) आदि।

अस्त्रक्षेप खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**—हत्या, हत्या का प्रयास, आत्महत्या, दुर्घटनावश गोली चलना, लूट—डकैती, अपहरण, दहशत फैलाना, डराना—धमकाना आदि।

Comparison Microscopeउपकरण पर जॉच करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्यः**— विभिन्न आग्नेयास्त्र व उसके हिस्से, कारतूस, खोखा कारतूस, डॉट, छर्रे, बुलेट, बारूद, परकुशन कैप, टारगेट जहाँ पर छर्रे अथवा बुलेट लगी, देशी तमन्चा, आर्म्स एक्ट के हथियार इत्यादि।

(3) **उपकरणः**— ई.डी.एक्स 8000., कम्पेरिजन माईक्रोस्कोप एवं वेलोसिटी मेजरिंग यूनिट, मोबाईल फायरिंग रेस्ट आदि।

प्रलेख खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**—भूमाफिया व जालसाजी, धोखाधड़ी, घोटाला, फिरौती, हत्या, बलात्कार, आत्महत्या, कापी—राइट एक्ट, ऑफीशियल सीक्रेट्स एक्ट।

(2) **भौतिक साक्ष्यः**— हस्तलेख, हस्ताक्षर, बैंक चेक, जायदाद खरीद/फरोख्त/हस्तांतरण संबंधी कागजात, टाइप लेख, दस्तावेजों में कांट—छांट, गुप्त लेख, रबर सील छाप, स्याही व कागज मिलान, जाली नोट, फोटोकापी मिलान, प्रिंटेड लेबल मिलान, वाहनों के रजिस्ट्रेशन व क्रय—विक्रय के पत्रादि, राशनकार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वीजा, स्टाम्प पेपर, क्रेडिट कार्ड इत्यादि।

अत्याधुनिक वी.एस.सी. 8000 उपकरण से संदिग्ध दस्तावेज कीजाँच करते वैज्ञानिक

(3) **उपकरणः**—स्टीरियो जूम माईक्रोस्कोप, वी.एस.सी. 8000, रेगुला—4307, ई.एस.डी.ए. यू.वी. उपकरण आदि।

नारकोटिक्स खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**—एनडीपीएस एक्ट, एक्साईज एक्ट एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जब्त नशीले एवं मादक पदार्थों से संबंधित प्रकरण।

जी.सी. एम.एस. उपकरण पर विश्लेषण करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्यः**—मादक पदार्थ :– डोडा पोस्त, अफीम तथा उससे निर्मित मादक पदार्थ जैसे स्मैक (ब्राउन शुगर या हेरोइन), चन्डू, मदक आदि। केनाबिस प्लांट प्रोडक्टस :– भाँग, गांजा, चरस आदि तथा कोकीन। मनःप्रभावी पदार्थः– मैन्ड्रैक्स, मेथाक्यूलोन, बारबीच्यूरेट्स, बेन्जोडायजेपीन, केटामिन, एल.एस.डी., एम्फीटामिन्स आदि ड्रग्स। प्रतिबंधित रसायन :– जैसे एसीटिक एनहाइड्राइड, एन्थ्रेनेलिक एसिड, क्लोरो एसीटिक एसिड तथा मादक पदार्थों के व्युत्पन्न के निर्माण में प्रयुक्त रसायन।

(3) **उपकरणः**—जी.सी.मास, आर.आई., यू.वी.विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एच.पी.एल.सी. आदि।

रसायनखण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**—अवैध शराब, शराब माफिया, जहरीली शराब त्रासदी, 16/54 व 19/54 आबकारी अधिनियम, रिश्वत, मिलावट, हत्या, तेजाब से जलाने के 7 पीसी(संशोधन) अधिनियम 2018, धारा 420, 302, 307 आईपीसी से सम्बन्धित प्रकरण, धोखाधड़ी आदि से सम्बन्धित प्रकरण।

एल्कोहल ऐनालाईजर उपकरण पर परीक्षण करते हुए

(2) **भौतिक साक्ष्यः**—देशी व विदेशी शराब, अवैध शराब, तेजाब से जले कपड़े, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, ट्रेप घोल (ए.सी.बी. केसेज) आदि।

(3) **उपकरणः**—डिजिटल बैलेंस, सेंट्रीफ्यूज, ओवन, मेल्टिंग पांइट उपकरण, डिस्टिलेशन उपकरण, एल्कोहल ऐनालाईजर आदि।

आर्सन एवं एक्सप्लोज़िव खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**—आगजनी,मिलावट, दहेज हत्याव आवश्यक वस्तु 3/7 ई.सी. एक्ट 4,5 एक्सप्लोज़िव एक्ट,धारा 498ए, 302, 307, 120बी आईपीसी आदि से सम्बन्धित प्रकरण।

(2) **भौतिक साक्ष्यः**—ज्वलनशील पैट्रोलियम पदार्थ, विलायक (सॉल्वेन्ट), एक्सप्लोज़िव्स मोबिल ऑयल, दहेज हत्या व आगजनी, विस्फोटक पदार्थ, आई.ई.डी. व विस्फोट जनित अवशेष।

(3) **उपकरणः**—पेट्रोल एवं डीजल एनालाइजर, गैस क्रोमेटोग्राफ, फ्लेश पाइंट उपकरण आदि।

गैस क्रोमेटोग्राफ पर प्रादर्शों का विश्लेषण करते वैज्ञानिक

विष खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**—हत्या, आत्महत्या, जहरखुरानी, दुर्घटना द्वारा मृत्यु जिसमें विष का संदेह हो, सर्पदंश, जन्तु विष, सामूहिक आपदा एवं 302, 328, 498ए, 304बी आईपीसी, 174, 176 सीआरपीसी, वन्य जीव एक्ट व राज. गोवंश संरक्षण एक्ट इत्यादि के अपराध।

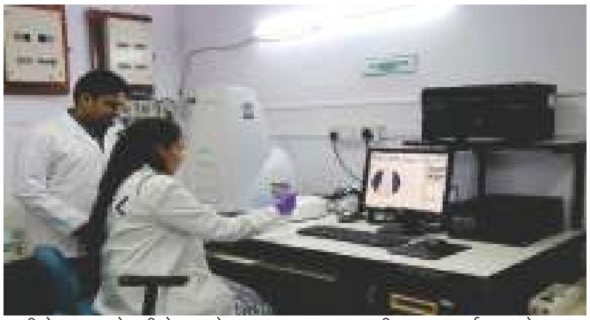

एवीडेन्स इन्वेस्टीगेटर ऐनालाइजर पर परीक्षण कार्य करते हुए

(2) **भौतिक साक्ष्यः**—विसरा, पेट की धोवन, उल्टी, रक्त, मूत्र में विष व विषजनित पदार्थ, जहरीली शराब, मादक व शामक औषधि, कीटनाशक दवाएं इत्यादि।

(3) **उपकरणः**—यू.वी. विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एफ. टी.आई.आर., डी.आई.पी. युक्त गैस क्रोमेटोग्राफ—मास स्पेक्ट्रोमीटर हेडस्पेस, एच.पी.एल.सी., एच.पी.टी.एल.सी., माईक्रोवेव सोलवेन्ट एक्सट्रेक्टर, एलाइजा रीडर फॉर स्नेक वेनम, कम्पाउंड माइक्रोस्कोप एवं एवीडेन्स इन्वेस्टीगेटर ऐनालाइजर आदि।

स्नेक वेनम का परीक्षण करते हुये वैज्ञानिक

फोटो खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**—बलात्कार, दुष्कर्म, हत्या, आत्महत्या, अपहरण, चोरी—डकैती, आतंकवाद, धोखाधड़ी,भूमाफिया, जालसाजी, ब्लैकमैलींग, मानहानी, स्त्री अशिष्ट नियंत्रण अधिनियम, पॉक्सो, आईटी एक्ट, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से संबंधित अपराधों में सीसीटीवी फुटेज/मोबाईल/कम्प्यूटर से रिकवर फोटो/विडियो ईमेज से फेस मेचिंग, फोटो मिलान, फोटो एडिटिंग, टेम्परींग, ट्रिक फोटोग्राफी, फोटो अध्यारोपण संबंधित परीक्षण तथा अपराध प्रदर्शन/घटनास्थल की फोटोग्राफी/विडीयोग्राफी आदि।

अपराध से संबंधित फोटोग्राफ/विडियो का परीक्षण

(2) **भौतिक साक्ष्यः**— सीडी, डीवीडी, पेनड्राईव, मोबाईल फोन एवं घटनास्थल या अपराध से संबंधित साक्ष्य, धोखाधड़ी, जमीन—जायदाद से संबंधित दस्तावेज के फोटोग्राफ, स्टाम्प पेपर के फोटोग्राफ, पासपोर्ट, प्रतियोगी परीक्षा संबंधित फोटोग्राफ व अन्य पहचान पत्रों पर फोटोग्राफ का परीक्षण। फोटो मिलान हेतु पिड़ित/आरोपी के चेहरे के चारो तरफ के पोस्टकार्ड साईज फोटोग्राफ एवं साफ्टकॉपी।

(3) **उपकरण एवं सॉफ्टवेयरः**— एच.पी. डिजाइन जेट प्लॉटर, कोनिका मिनोल्टा कलर फोटो प्रिन्टर एवं एडोब फोटोशॉप 24.7.2 सॉफ्टवेयर।

पॉलीग्राफ खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**—धोखाधड़ी, डकैती, चोरी, आगजनी, हत्या आदि प्रकरणों में संदिग्ध, गवाह अथवा शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये बयान की सत्यता की पहचान ।

(2) **भौतिक साक्ष्यः**—संदिग्ध, गवाह अथवा शिकायतकर्ता के दिए गये बयान आदि।

(3) **उपकरणः**—कम्प्यूटराईज्ड पोलीग्राफ उपकरण (मॉडल एल.एक्स. 5000) आदि ।

प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान न्यायिक सेवा, राजस्थान वन सेवा, लोक अभियोजक, चिकित्सा अधिकारियों, विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं विभिन्न राज्यों से आगंतुक अधीनस्थ पुलिस कार्मिकों को न्यायालयिक विज्ञान सम्बंधी व्याख्यान एवं प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान के फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट (एफ.टी.आर.आई.) एवं समस्त प्रयोगशालाओं में वर्ष 2023 में 3782 न्यायाधीश/न्यायिक अधिकारियों/पीपी/एपीपी, पुलिस अधिकारियों, फोरेंसिक वैज्ञानिकों एवं अन्य प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा देश के विभिन्न संस्थानों व विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिये गये। प्रयोगशाला के अनेक वैज्ञानिकों के शोध पत्र अंतराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में प्रकाशित हुए। प्रयोगशाला के विभिन्न स्तर के वैज्ञानिकों को देश के उच्च वैज्ञानिक संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवा कर आधुनिक विधियों से अद्यतन करवाया जाता है।

इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत फोरेंसिक साईंस के लगभग 350 इन्टर्नस् प्रशिक्षणार्थियों को एफएसएल के विभिन्न खण्डों में प्रशिक्षण दिया गया।

अनुसंधान अधिकारियों को वैज्ञानिक साक्ष्यो की जानकारी देते हुए

अनुसंधान अधिकारियों को फारेंसिक विज्ञान की जानकारी देते हुए

लोक अभियोजकों को फारेंसिक विज्ञान की जानकारी सेशन

फोरेंसिक विज्ञान के छात्रों को वैज्ञानिक साक्ष्यो की जानकारी देते हुए

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला : अपराध अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका

आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन प्रमुख स्तम्भों के रूप में पुलिस एवं न्यायालय के मध्य राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं एक अभिन्न एवं संयोजी कड़ी के रूप में कार्यरत है। बहुवैज्ञानिक संस्थान के रूप में स्थापित इन प्रयोगशालाओं में प्रामाणिक वैज्ञानिक विधियों एवं अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से अपराध सम्बंधी भौतिक सामग्री (आपराधिक प्रादर्शों) का विश्लेषणात्मक परीक्षण किया जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की परीक्षण रिपोर्ट अपराध में संदिग्ध व्यक्ति की लिप्तता स्थापित करने हेतु साक्ष्य के रूप में मान्य है। 'एक्सपर्ट ओपिनियन' के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली ये रिपोर्ट निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक स्तरीय अधिकारियों के द्वारा जारी की जाती है। प्रयोगशाला में प्राप्त होने वाले प्रकरण आईपीसी, सीआरपीसी, पोक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट, आई.टी. एक्ट, महिला अशिष्ट निरूपणएक्ट, ऑफिशियल सीक्रेटस एक्ट, कॉपीराईट एक्ट,एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, आरपीजीओ एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट एक्ट, गौवंश संरक्षण एक्ट से सम्बन्धित होते है। फोरेंसिक रिपोर्ट मुख्यतः राज्य की पुलिस एवं न्यायालयों को उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त सी.बी.आई., राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नारकोटिक्स, रसद, आबकारी, रेल्वे, कस्टम, आयकर, वन, सैन्य विभाग, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों को भी रिपोर्ट दी जा रही है।

मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स

प्रयोगशाला में जाँच हेतु विभिन्न प्राधिकृत सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं एवं व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले अपराध प्रादर्शों के परीक्षण के अतिरिक्त अन्वेषक संस्थाओं को अन्वेषण की दिशा तय करने के लिए घटना स्थल पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य सामग्री के चिन्हीकरण एवं एकत्रीकरण में वैज्ञानिक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जिससे अपराध के घटित होने, घटना का समय काल, तरीका एवं अपराधी तक पहुचने में मदद मिलती है।

जटिल अपराधों की गुत्थी सुलझाने के लिए प्रकरण विशेष की आवश्यकतानुसार शोध एवं विकास कार्य भी किये जाते है। ये शोध एवं विकास कार्य विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में जारी शोध कार्यों की अपेक्षा विशिष्ट एवं भिन्न होते हैं। साक्ष्यसामग्री के वैज्ञानिक विधियों से शीघ्र से शीघ्र चिन्हीकरण एवं एकत्रीकरण करने हेतु राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स कार्यरत है, जो घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचकर जांच अधिकारी को वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने में सहायता देती है। इस कार्य हेतु प्रत्येक यूनिट में फोरेंसिक वैज्ञानिक, वाहन, उपकरण एवं रसायनों की सुविधा का प्रावधान किया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : चरणबद्ध विकास

1. वर्ष 1959 में राज्य में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना गृह विभाग के आदेशों से पुलिस मुख्यालय में प्रलेख एवं फोटो खण्ड से आरम्भ हुई। 1967 में रसायन, 1970 में जैविक एवं 1973 में भौतिक खण्ड प्रारम्भ हुआ।
2. वर्ष 1970 में प्रयोगशाला में प्रथम तकनीकी निदेशक की नियुक्ति की गई।
3. वर्ष 1974 में प्रयोगशाला भवन का राजस्थान पुलिस अकादमी के समीप नेहरू नगर में पृथक प्रांगण में निर्माण करा प्रयोगशाला उसमें स्थानांतरित की गई।
4. वर्ष 1974 में अस्त्रक्षेप, 1983 में विष एवं 1984 में सीरम खण्डों में परीक्षण आरंभ किया गया।
5. वर्ष 1992 में नारकोटिक्स, आर्सन एण्ड एक्सप्लोसिव तथा लाई–डीटेक्शन खण्डों के स्वीकृति आदेश जारी।
6. वर्ष 1995 में जोधपुर एवं उदयपुर की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं स्वीकृत एवं 1997 से इनमें परीक्षण कार्य आरंभ।
7. वर्ष 1998 में जोधपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का शिलान्यास एवं निर्माण आरंभ।
8. वर्ष 2004 में डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग भवन का निर्माण प्रारंभ, कम्प्यूटर लैब एवं वन्यजीव फोरेंसिक के लिए भवन निर्माण, उदयपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का निर्माण एवं शासन द्वारा 30 जिला चल इकाइयों की स्वीकृति।
9. वर्ष 2005 में कोटा क्षेत्रीय प्रयोगशाला के भवन का निर्माण, मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर में ऑडियो वीडियो ऑथेंटिकेशन तकनीक का कार्य प्रारंभ।
10. वर्ष 2006 में उदयपुर प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण, 16 जिला चल इकाइयों की स्थापना, डी.एन.ए. एवं साईबर लैब के लिए पृथक स्टाफ स्वीकृत।
11. वर्ष 2007 में कोटा क्षेत्रीय प्रयोगशाला में आंशिक स्टाफ स्वीकृति पश्चात कार्य आरंभ, 14 जिला मोबाईल यूनिट्स की स्थापना, 7 मोबाईल यूनिट्स के भवन का निर्माण प्रारंभ।
12. वर्ष 2009 में 4 नवीन जिला मोबाईल यूनिट्स आरंभ।
13. वर्ष 2011 में जयपुर में डी.एन.ए. खण्ड का परीक्षण का कार्य प्रारम्भ।
14. वर्ष 2013 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में रसायन खण्ड ने कार्य प्रारंभ किया।
15. वर्ष 2014 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर में विष, जैविक एवं सीरम खण्ड तथा क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में विष खण्ड ने कार्य करना प्रारंभ किया।
16. वर्ष 2015 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर के परिसर में फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के भवन का निर्माण हुआ।
17. वर्ष 2015 में भरतपुर के क्षेत्रीय प्रयोगशाला में भौतिक, जैविक, सीरम तथा विष खण्ड प्रारम्भ एवं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में जैविक खण्ड आरम्भ हुआ।
18. वर्ष 2017 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर मे स्थापित पॉलिग्राफ सेंटर में कार्य प्रारम्भ किया गया।
19. वर्ष 2017 में साईबर फोरेन्सिक खण्ड, जयपुर का कार्य प्रारम्भ हुआ।
20. वर्ष 2017 में फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुविधाओं का विस्तार कर अपराधों के वैज्ञानिक अनुसंधान में कौशल विकास का कार्य प्रारम्भ किया गया ।
21. वर्ष 2019 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर तथा बीकानेर के नवनिर्मित भवन में कार्य प्रारंभ किया गया।
22. वर्ष 2019 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर में जैविक खण्ड ने कार्य प्रारंभ किया।
23. वर्ष 2020 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान की सभी प्रयोगशालाओं में प्राप्त प्रकरणों का डाटा एन्ट्री कार्य आई.सी.जे.एस. अन्तर्गत ई–फोरेन्सिक सॉफ्टवेयर पर प्रारम्भ किया गया।
24. वर्ष 2021 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर में डी.एन.ए. खण्ड प्रारभ्भ हुआ।
25. वर्ष 2022 में राज्य सरकार द्वारा क्षे.वि.वि.प्र. भरतपुर के भवन निर्माण हेतु आवंटित 5000 वर्ग मीटर जमीन पर भवन निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।
26. वर्ष 2022 में राज्य सरकार द्वारा मुख्य प्रयोगशाला जयपुर के लिए डी.एन.ए खण्ड के विस्तार हेतु रुपये 372.5 लाख राशि तथा साईबर खण्ड के नवीन भवन हेतु रुपये 486 लाख राशि स्वीकृत की गई। जिनके भवन निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।
27. वर्ष 2023 में क्षैत्रीय प्रयोगशाला अजमेर में डी.एन.ए. खण्ड का परीक्षण कार्य प्रारम्भ।

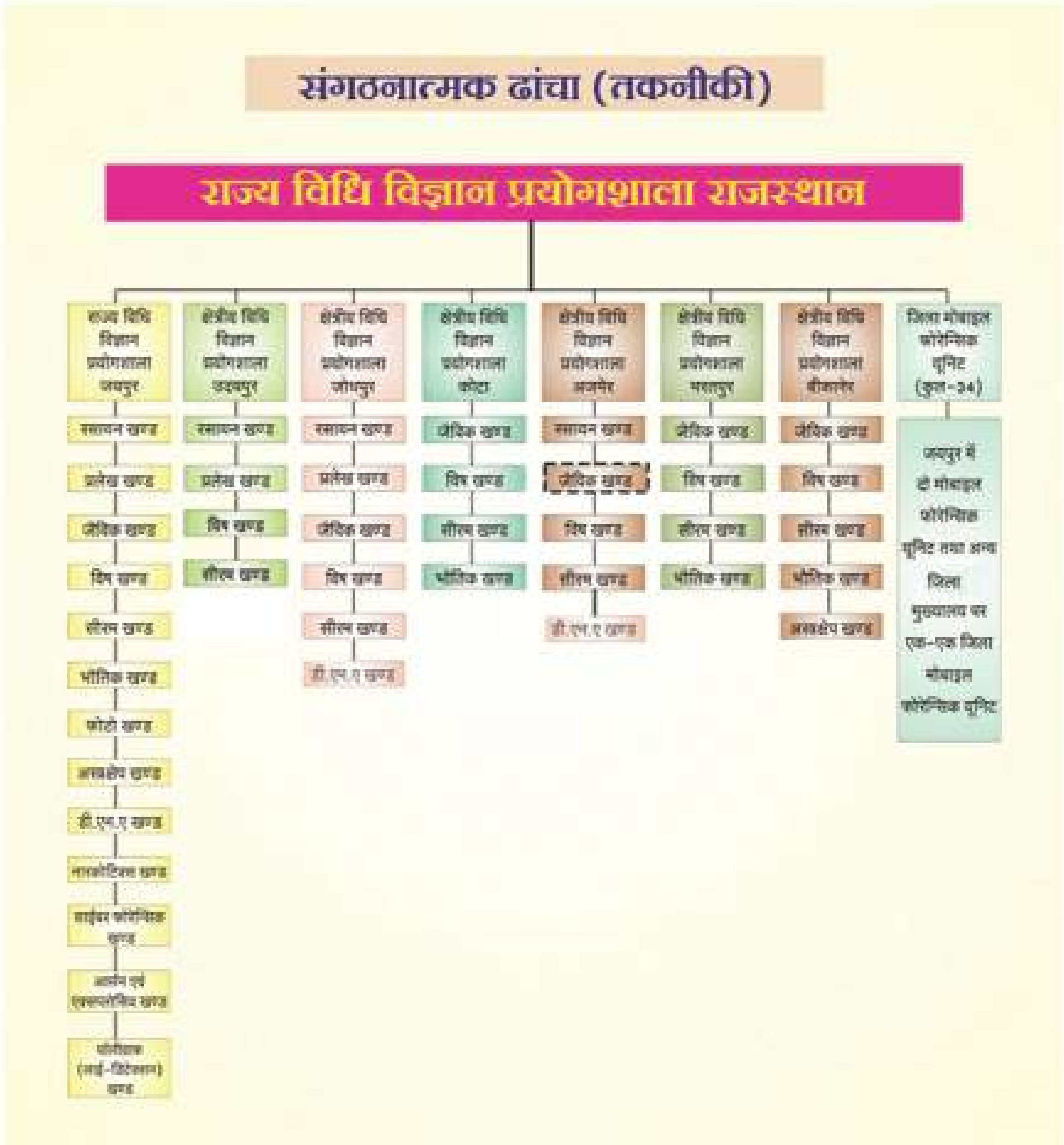
संगठनात्मक ढांचा (तकनीकी)
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर
रसायन खण्ड
प्रलेख खण्ड
जैविक खण्ड
विष खण्ड
सीरम खण्ड
भौतिक खण्ड
फोटो खण्ड
अक्षक्षेप खण्ड
डी.एन.ए खण्ड
नारकोटिक्स खण्ड
साइबर फोरेन्सिक खण्ड
आर्सन एवं एक्सप्लोसिव खण्ड
पॉलीग्राफ (लाई-डिटेक्शन) खण्ड
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर
रसायन खण्ड
प्रलेख खण्ड
विष खण्ड
सीरम खण्ड
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर
रसायन खण्ड
प्रलेख खण्ड
जैविक खण्ड
विष खण्ड
सीरम खण्ड
डी.एन.ए खण्ड
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला कोटा
जैविक खण्ड
विष खण्ड
सीरम खण्ड
भौतिक खण्ड
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला अजमेर
रसायन खण्ड
जैविक खण्ड
विष खण्ड
सीरम खण्ड
डी.एन.ए खण्ड
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भरतपुर
जैविक खण्ड
विष खण्ड
सीरम खण्ड
भौतिक खण्ड
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला बीकानेर
जैविक खण्ड
विष खण्ड
सीरम खण्ड
भौतिक खण्ड
अक्षक्षेप खण्ड
जिला मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट (कुल-34)
जयपुर में दो मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट तथा अन्य जिला मुख्यालय पर एक-एक जिला मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट

राजस्थान विधि विज्ञान प्रयोगशाला का संगठनात्मक स्वरूप

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण (31–12–2023 की स्थिति में)

राजस्थान विधि विज्ञान प्रयोगशाला की मुख्य प्रयोगशाला, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं एवम् जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स के लिए स्वीकृत, वर्तमान नफरी और रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार है:–

कैडरवाईज स्थिति

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1.	तकनीकी अधिकारी	144	76	68
2.	तकनीकी कर्मचारी	295	178	117
	कुल योग	439	254	185

वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1.	निदेशक	01	01	–
2.	अतिरिक्त निदेशक	07	05	02
3.	उप निदेशक	11	09	02
4.	सहायक निदेशक	39	31	08
5.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	86	30	56
6.	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	43	31	12
7.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	96	56	40
8.	तकनीकी सहायक	01	–	01
9.	प्रयोगशाला सहायक	78	57	21
10.	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	77	34	43
	कुल योग	439	254	185

मंत्रालयिक एवं लेखा संवर्ग

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1.	लेखाधिकारी	01	01	–
2.	सहायक लेखाधिकारी–I	01	01	–
3.	सहायक लेखाधिकारी–II	01	01	–
4.	कनिष्ठ लेखाकार	07	06	01
5.	प्रशासनिक अधिकारी	01	01	–
6.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	02	01	01
7.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	05	05	–
8.	निजी सहायक–I	01	01	–
9.	निजी सहायक–II	02	02	–
10.	वरिष्ठ सहायक	08	08	–
11.	कनिष्ठ सहायक	14	14	–
12.	दफ्तरी	01	01	–
13.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	20	19	01
14.	स्वीपर	06	05	01
15.	विसरा कटर	01	–	01
16.	प्रयोगशाला कर्मचारी	09	07	02
17.	कानि0 ड्राईवर	14	13	01
18.	चालक	03	–	03
	कुल योग	97	86	11

नियमित बजट एवं आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत राशि

(31–12–2023 की स्थिति में)

(अ) वर्ष 2023–24 बजट आवंटन एवं व्यय (आयोजना भिन्न राशि रूपये लाखों में)

क्र.सं.	शीर्षक	अनुमानित बजट राशि	संशोधित बजट राशि	व्यय राशि	शेष राशि
1.	संवेतन (01)	2975.00	2988.00	2192.08	795.92
2.	यात्रा व्यय (03)	31.00	25.00	11.03	13.97
3.	चिकित्सा व्यय (04)	0.01	0.01	-	0.01
4.	कार्यालय व्यय (05)	50.00	40.00	28.93	11.07
5.	वाहन क्रय (06)	0.01	0.01	-	0.01
6.	वाहनों का संचालन एवं संधारण (07)	42.00	32.00	27.58	4.42
7.	किराया, रेट और कर/रोयल्टी (09)	13.68	13.68	10.22	3.46
8.	लघु निर्माण कार्य (16)	0.01	0.01	-	0.01
9.	मशीनरी और साजो सामान/औजार एवं संयंत्र नवीन उपकरण व्यय (18)	1150.00	1500	954.19	545.81
10.	विद्युत व्यय (19)	66.00	66.00	50.65	15.35
11.	अनुरक्षण एवं मरम्मत व्यय (21)	140.00	275.00	84.13	190.87
12.	प्रशिक्षण (29)	2.00	2.00	0.83	1.17
13.	वाहन किराया (36)	0.01	0.01	-	0.01
14.	वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं व्यय (37)	1.30	1.60	1.29	0.31
15.	संविदा तथा अन्य सुविधाएं व्यय (41)	100.00	100.00	68.74	31.26
16.	कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय (62)	0.01	0.01	-	0.01
	कुल योग	**4569.03**	**5043.33**	**3429.67**	**1613.66**

(ब) वर्ष 2023–24 आयोजना बजट मद (राशि रूपये लाखों में)

क्र. सं.	मद का नाम	अनुमानित बजट राशि	संशोधित बजट राशि	व्यय राशि	शेष राशि
1.	बृहद निर्माण कार्य (17)(100% राज्य अंश)	1168.12	956.72	20.00	936.72
2.	मशीनीकरण और साज सामान/औजार एवं संयंत्र (18) (नवीन उपकरण) पुलिस आधुनिकीकरण योजना (60% केन्द्रीय अंश एवं 40% राज्य अंश)	250.00	95.00	Nil	95.00
3.	मशीनीकरण और साज सामान/औजार एवं संयंत्र (18) (नवीन उपकरण)(100% राज्य अंश)	1183.10	523.10	Nil	523.10
4.	नाकोड योजना (18)(100% केन्द्रीय अंश)	107.22	107.22	Nil	107.22
5.	मैन पावर सेवा (41))(100% राज्य अंश)	324.00	280.00	200.00	0.80
	योग	**3032.44**	**1962.04**	**220.00**	**1742.04**

प्रकरण सांख्यिकी (Case Statistics)

State Forensic Science Laboratory Rajasthan
Case Statistics from 01-01-2023 to 31-12-2023

(i) Statement showing Year–wise position of Received, Disposal and Pending Cases

S. NO.	YEAR	PENDENCY AS ON 1ST JANUARY	RECEIVED CASES DURING THE YEAR	TOTALN0. OF CASES	EXAMINED CASES DURING THE YEAR	PENDENCY AS ON 31ST December
1.	2019	9947	43434	53381	39240	14141
2.	2020	14141	39679	53820	38080	15740
3.	2021	15740	45864	61604	42078	19526
4.	2022	19526	49933	69459	42039	27266
5.	2023	27266	56294	83560	44553	39007

(ii) Statement showing position of Received, Disposal and Pending Cases for SFSL and RFSLs.

S. NO.	FORENSIC SCIENCE LABORATORIES	PENDING CASES ON 01-01-2023	RECEIVED CASES IN 2023	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASESON 31-12-2023
					CASES	EXHIBITS	
1.	State FSL Jaipur	19392	28567	47959	20782	359390	27177
2.	Regional FSL Jodhpur	2345	9925	12270	8476	49672	3794
3.	Regional FSL Udaipur	2944	7675	10619	5957	25487	4662
4.	Regional FSL Kota	738	1836	2574	1618	7196	956
5.	Regional FSL Bikaner	843	1978	2821	1595	8835	1226
6.	Regional FSL Ajmer	829	5528	6357	5261	15911	1096
7.	Regional FSL Bharatpur	175	785	960	864	4515	96
	Grand Total :	**27266**	**56294**	**83560**	**44553**	**471006**	**39007**

(iii) Total number of Crime Scenes visited in the Rajasthan:-1961

(iv) Statement showing Received, Disposal and position of Pending cases of State Forensic Science Laboratory, Jaipur:-

S.NO.	NAME OF DIVISION	PENDING CASES ON 01-01-2023	RECEIVED CASES IN 2023	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASES ON 31-12-2023
					CASES	EXHIBITS	
1.	Documents Division	21	518	539	505	38438	34
2.	Chemistry Division	1701	11870	13571	9071	13430	4500
3.	Arson & Explosive	106	151	257	146	401	111
4.	Narcotics Division	536	3175	3711	2400	4733	1311
5.	Biology Division	16	119	135	128	290	7
6.	Physics Division	151	618	769	406	1783	363
7.	Polygraph Division	4	8	12	7	31	5
8.	Cyber Forensic Division	2317	1736	4053	378	2083	3675
9.	Ballistics Division	113	376	489	344	3085	145
10.	Toxicology Division	1181	2822	4003	2950	17418	1053
11.	Serology Division	4	227	231	220	964	11
12.	DNA Division	13242	6197	19439	3446	20310	15993
13.	Photo Division	79	750	829	781	256424	48
	Total	**19392**	**28567**	**47959**	**20782**	**359390**	**27177**

(v) Statement showing Received, Disposal and position of Pending cases of Regional Forensic Science Laboratory Jodhpur, Udaipur, Kota, Bikaner, Ajmer & Bharatpur:-

S. NO.	NAME OF DIVISION	PENDING CASES ON 01-01-2023	CASES RECEIVED in 2023	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASES ON 31-12-2023
					CASES	EXHIBITS	
	REGIONAL FSL, JODHPUR						
1.	Documents Division	90	266	356	275	22559	81
2.	Chemistry Division	1162	7137	8299	5918	12769	2381
3.	Toxicology Division	308	1080	1388	1168	9267	220
4.	Serology Division	52	226	278	276	1413	2
5.	Biology Division	46	141	187	187	540	0
6.	DNA Division	687	1075	1762	652	3124	1110
	Total	**2345**	**9925**	**12270**	**8476**	**49672**	**3794**
	REGIONAL FSL, UDAIPUR						
1.	Documents Division	12	128	140	135	8607	5
2.	Chemistry Division	1827	6305	8132	4554	10103	3578
3.	Toxicology Division	973	913	1886	882	5135	1004
4.	Serology Division	132	329	461	386	1642	75
	Total	**2944**	**7675**	**10619**	**5957**	**25487**	**4662**
	REGIONAL FSL, KOTA						
1.	Biology Division	7	98	105	105	158	0
2.	Physics Division	10	151	161	157	410	4
3.	Toxicology Division	436	990	1426	738	4171	688
4.	Serology Division	285	597	882	618	2457	264
	Total	**738**	**1836**	**2574**	**1618**	**7196**	**956**
	REGIONAL FSL, BIKANER						
1.	Biology Division	27	163	190	182	623	8
2.	Physics Division	161	291	452	262	858	190
3.	Ballistic Division	14	92	106	97	810	9
4.	Toxicology Division	533	1179	1712	704	4766	1008
5.	Serology Division	108	253	361	350	1778	11
	Total	**843**	**1978**	**2821**	**1595**	**8835**	**1226**
	REGIONAL FSL, AJMER						
1.	Chemistry Division	445	3278	3723	3453	5566	270
2.	Toxicology Division	355	1200	1555	1159	7143	396
3.	Serology Division	20	240	260	246	1253	14
4.	Biology Division	9	166	175	165	471	10
5.	DNA Division	0	644	644	238	1478	406
	Total	**829**	**5528**	**6357**	**5261**	**15911**	**1096**
	REGIONAL FSL, BHARATPUR						
1.	Biology Division	19	46	65	56	160	9
2.	Serology Division	2	88	90	90	417	0
3.	Physics Division	45	86	131	129	259	2
4.	Toxicology Division	109	565	674	589	3679	85
	Total	**175**	**785**	**960**	**864**	**4515**	**96**

एफ.एस.एल. में परीक्षण किये गये महत्त्वपूर्ण प्रकरण

साईबर फोरेन्सिक प्रकरण

1. **सैकण्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक प्रकरण में जब्त मोबाईलों से महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरीः—**
   थाना—बेकरिया, उदयपुर द्वारा प्रकरण 227/22 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 482, 120बी भादस व 3, 6, 9, 10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत आरपीएससी द्वारा आयोजित सैकण्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र के परीक्षा से पूर्व लीक होने के बहुचर्चित प्रकरण में आरोपियों के मोबाइल से डिलिटेड प्रश्न से सम्बंधित फोटो को रिकवर कर परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने की दिनांक के संबंध में प्रकरण में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की।
2. **वृद्ध महिला के अपहरण एवं दुष्कर्म से संबंधित प्रकरण में जब्त मोबाईल से महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरीः—**
   थाना—फतेहपुर सदर, जिला— सीकर से सम्बंधित प्रकरण संख्या 114/19धारा 365, 376डी, 34 आई.पी.सी. व 67 आई.टी.एक्ट के अन्तर्गत वृद्ध महिला के अपहरण एवं दुष्कर्म से संबंधित प्रकरण में मुलजिम से जब्त मोबाईल फोन से प्रकरण से संबंधित मीडिया फाईल को रिकवर कर महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य प्रदान किये गये। जिसके उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 25 साल के सश्रम कारावास व डेढ लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
3. **नाबालिग स्कूली बालिकाओ से बलात्कार प्रकरण में प्रधानाध्यापक से जब्त मोबाईल फोन से महत्वपूर्ण डिलीटेड डाटा की रिकवरीः—**
   थाना—सदर डूंगरपुर, द्वारा प्रकरण 138/2023 धारा 363, 354, 354ए, 376, 376(3), 376 ।ठए 376(2)(द) व धारा 5/6 पोक्सो एक्ट, 9/10 पोक्सो एक्ट भा.द.स. अधिनियम के अन्तर्गत मुल्जिम रमेश चन्द्र कटारा प्रधानाध्यापक से जब्त मोबाईल फोन में आरोपी द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित बालिकाओ के अश्लील फोटो खिचकर डीलीट किया गया था। इन डीलीटेड अश्लील फोटोग्राफस को Redmi मोबाईल से फोरेंसिक सॉफ्टवेयर की मदद से रिकवर कर उपलब्ध किये जा कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।
4. **राजस्थान पुलिस भर्ती प्रकरण में जब्त डीवीआर से महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरीः—**
   थाना—एस.पी.एस., एस.ओ.जी., जयपुर के प्रकरण संख्या 13/22 धारा 420, 120 बी आई.पी.सी. व 3/10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के अन्तर्गत आरोपियों द्वारा विधि के विरूद्ध परीक्षा से पुर्व अनुचित तरिके से स्ट्रोंग रूम से पेपर चुराने का साक्ष्य डीवीआर से रिकवर कर महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।
5. **बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर शव के टुकड़े करने के बहुचर्चित संवेदनशील प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरी :—**
   थाना—मावली, उदयपुर द्वारा प्रकरण 53/23 धारा 363, 366(A), 342, 302, 201, 376(A)(B) भादस एवं 5(M)/6 पोक्सो एक्ट व 3(2)(va)(v) एस. सी./ एस. टी. एक्ट, 84 जेजे एक्ट के अन्तर्गत 09 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर शव के टुकड़े करने के बहुचर्चित संवेदनशीलप्रकरण में आरोपी के जब्त मोबाइल से आरोपी के द्वारा घटना के दिन कई बार अश्लील कंटेन्ट देखने से सम्बंधित वेब हिस्ट्री का डाटा रिकवर कर प्रकरण के अनुसंधान में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की।
6. **सरकारी दस्तावेजों में छेडछाड कर धोखाधडी प्रकरण में लैपटाप से महत्वपूर्ण डाटा रिकवरीः—**
   थाना—मनोहर, झालावाड अपराध संख्या 67/19 धारा 420, 467, 468, 120बी भादस. के अन्तर्गत जब्त लैपटॉप व सीपीयू में से सरकारी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत, मतदाता पहचान—पत्र आदिसे सम्बन्धित दस्तावेजों में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से छेडछाड सम्बन्धी तथ्यों का पता लगाकर

सम्बन्धितप्रकरण में डाटा रिकवर करवा कर सहायता प्रदान की गई।

7. महिला उत्पीड़न से सम्बंधित प्रकरण में मोबाईल से महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरी:–
थाना–धरियावद, प्रतापगढ द्वारा प्रकरण 267/23 धारा 323, 341, 342, 365, 354, 354(ख), 294, 498ए, 504, 506, 509 120बी आई.पी.सी. एवं 4/6 स्त्री अशिष्ट नियंत्रण अधिनियम व 67ए आई.टी. एक्ट अन्तर्गत महिला उत्पीड़न से सम्बंधित प्रकरण में जब्त मोबाईल फोन से महिला को निर्वस्त्र कर गॉव में घुमाये जाने की विडियो रिर्कोडिग से संबंधित प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।

8. राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित प्रकरणों में मोबाईल से महत्वपूर्ण डाटा की रिकवरी:–
थाना–स्पेशल पुलिस थाना, सी.आई.डी. सुरक्षा, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 06/21 धारा 3, 3/9 शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के अन्तर्गत चीफ इंजिनियर जोधपुर जोन एमईएसए, जोधपुर में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा सोशल मीडिया के जरिये आर्मी से संबंधित गोपनीय सूचनाओं की कर्यालय पत्रावलियो को पाकिस्तानी खूफिया एजेन्सी को शेयर करने में कर्मचारी से जब्त मोबाईल से प्रकरण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण वाट्सएप मैसेज, पिक्चर फाइल इत्यादि डिजिटल साक्ष्य रिकवर किये गये।
थाना–स्पेशल पुलिस थाना, जयपुर , सी.आई.डी. (सुरक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 01/21 धारा 3, 3/9, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के अन्तर्गत हनी ट्रेप प्रकरण में लिप्त जैसलमेर निवासी द्वारा महिला पाक हैड़लींग अफसर व पाकिस्तानी खूफिया एजेन्सी को गोपनीय सूचनाओं को शेयर करने में जैसलमेर निवासी से जब्त मोबाईल से प्रकरण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य रिकवर किये गये।

9. संवेदनशील दुष्कर्म प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरी :–
थाना–देसुरी, पाली द्वारा प्रकरण 42/23 धारा 363, 376(2)(च)(झ)(ढ) भादस एवं 3 /4, 5(स)(द)/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत दुष्कर्मी पिता द्वारा अपनी 14 वर्ष की बेटी से दुष्कर्म के संवेदनशीलप्रकरण में जब्त मोबाइल से दुष्कर्म की घटना के विडियो रिकवर कर विडियो संबंधित परीक्षण कर प्रकरण के अनुसंधान में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की।

10. हाईकोर्ट में प्रोपर्टी से संबंधितप्रकरण में जब्त मोबाईल से महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरी:–
एस. बी. सिविल कन्टेम्प्ट पिटीशन नम्बर 1694/2019 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में जब्त मोबाईल फोन से प्रकरण के साथ भेजी गई फोटोग्राफ को मोबाईल फोन से रिकवर कर उसमें एडिटिंग व उसी मोबाईल से खिचे जाने संबंधित राय उपलब्ध करवाकर माननीय न्यायालय को प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये ।

11. केन्द्रीय कारागृह उदयपुर के बन्दी बैरिक के प्रकरण में मोबाईलों से महत्वपूर्ण डाटा रिकवरी:–
थाना–सूरजपोल, उदयपुर अपराध संख्या 90/23 धारा 42कारागार अधिनियम (राजस्थान संशोधन अधिनियम 2015) के अन्तर्गत केन्द्रीय कारागृह उदयपुर के बन्दी कारागृह से बाहर रह रहे अपने सहयोगियों के साथ उक्त मोबाईल से वार्ता कर आपराधिक गतिविधियों का संचालन करने से सम्बन्धित प्रकरण में जप्त मोबाईल फोनों में से सम्बन्धित कॉल लॉग, वाट्सऐप मैसेज तथा सम्बन्धित डाटा रिकवर करवा कर प्रकरण में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की गई।

12. भ्रष्टाचार के प्रकरण में मोबाईल से महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरी:–
थाना–सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर द्वारा अपराध संख्या 388/2022 धारा 7, 8, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.द.स. के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर में पदस्थापित अधिकारी व अन्य से रिश्वत/भ्रष्टाचार सम्बन्धित प्रकरण में जप्त मोबाईल फोन के वाट्सऐप मैसेज तथा अन्य सम्बन्धित डाटा रिकवर करवा कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये।
थाना–सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर द्वारा अपराध संख्या 507/2022 धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व अन्य के विरूद्ध रिश्वत

राशि की आपसी मिलीभगत एवं षड्यंत्र पूर्वक मांग करने संबंधित प्रकरण में जप्त मोबाईल फोन से प्रकरण से सम्बन्धित विडियो को रिकवर कर उनमें कांटछाट व उसी मोबाईल से रिकार्ड संबंधित राय व व्हाट्सऐप मैसेज से संबंधित डाटा रिकवर करवा कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये।

थाना–सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर जिला– अजमेर द्वारा अपराध संख्या 40/2023 धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 एवं 384, 120 बी भा.द.स. के अन्तर्गत वार्ड पार्षद व अन्य से रिश्वत/भ्रष्टाचार सम्बन्धित प्रकरण में जप्त मोबाईल फोन से ऑडियो रिकार्डिंग, वाट्सऐप मैसेज तथा सम्बन्धित डाटा रिकवर करवा कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये।

13. <u>एन.डी.पी.एस. प्रकरण में जब्त मोबाईल से महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरीः–</u>

थाना–हिन्दूमलकोट, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण 43/2021 धारा 8/21, 25 , 29 एन.डी.पी.एस एक्ट में एनडीपीएस प्रकरण में जप्त मोबाईल फोन में 'DJI GO V4' एप्लीकेशन के माध्यम से पाकिस्तान व इंडिया बोर्डर पर हो रही मादक पदार्थों की तस्करी की लोकेशन संबंधित साक्ष्य एवं फोन से अन्य महत्वपूर्ण डाटा रिकवर करवा कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।

14. <u>बलात्कार प्रकरण में जब्त मोबाईल फोन से महत्वपूर्ण एन्क्रीप्टेड डाटा की रिकवरीः–</u>

थाना–सुलतानपुर, जिला– कोटा ग्रामीण, द्वारा प्रकरण 212/2021 धारा 366, 292(2)(सी), 376(2)(एन) भा.द.स. एवं 5(एल)(एफ)/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत मुल्जिम से जब्त मोबाईल फोन में आरोपी द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित पीड़िता के फोटोग्राफ एवं विडियो फाईलों को ओप्पो मोबाईल के ओडियो मैनेजर एप्लीकेशन के माध्यम से एन्क्रीप्टेड यूजर पार्टिशन में छुपाई गई थी। उन फोटोग्राफ एवं विडियो फाईलों को उक्त मोबाईल फोन से रिकवर करने पश्चात् इन फाईलों के डिक्रिप्शन हेतु डवलप की गई पायथन स्क्रीप्ट को मोबाईल फोन फोरेंसिक सॉफ्टवेयर में रन करवाकर उक्त फाईलों को डिक्रिप्ट किया जाकर पिक्चर फाईल्स के मोबाईल द्वारा खिंचे जाने सम्बन्धित राय प्रदान की गई। जिससे प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।

डी.एन.ए. एवं जैविक प्रकरणः–

1. <u>डी.एन.ए. तकनीक द्वारा अज्ञात शव की पहचानः–</u>

पुलिस थाना– कालवाड़, जिला– जयपुर (पश्चिम), मुकदमा नं0 520/23 प्रकरण में घटनास्थल पर महिला का अधजला शव क्षत–विक्षत स्थिति में पाया गया। मृतका को अपनी पुत्री होने का दावा करने वाले कथित पिता के रक्त से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल का मिलान मृतका के शव से लिए गए दाँत से प्राप्त डी.एन.ए. प्रोफाइल से किया गया। डी.एन.ए. परीक्षण में पिता के डीएनए से मृतका के डी.एन.ए का मिलान नहीं हुआ जिससे पुलिस को केस की जांच में सही दिशा में मार्गदर्शन मिला।

2. <u>कोमाग्रस्त मरीज के सिर की हड्डी की पहचान</u> :–

जयपुर जिले के मानसरोवर क्षेत्र स्थित निजी अस्पताल में कोमाग्रस्त मरीज की क्रेनियल बोन Autoclaveके दौरान Markingके नष्ट होने के कारण अन्य मरीजो की क्रेनियल बोन के साथ मिक्स को गयी। उक्त मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए ऑपरेशन के लिए क्रेनियल बोन की पहचान अतिशीघ्र होनी थी। डी.एन.ए. अनुभाग द्वारा क्रेनियल बोन को क्षतिग्रस्त किये बिना डी.एन.ए. प्रोफाइल प्राप्त कर उसकी पहचान की गयी जिससे कोमाग्रस्त मरीज को नया जीवन मिल सका।

3. <u>गोहत्या प्रकरण</u> :–

पुलिस थाना– भिरानी, जिला– हनुमानगढ़ जांच धारा–102 CrPCप्रकरण मे गौहत्या की आशंका से क्षैत्र में साम्प्रदायिक तनाव हो गया। पुलिस द्वारा अनुभाग में परीक्षण हेतु 19 सेम्पल जमा कराये गए। जिस पर अनुभाग के विशेषज्ञों द्वारा नवाचार करते हुये RT-PCR तकनीक द्वारा Species identification किया गया। उक्त सभी सेम्पल का परीक्षण करने के पश्चात् एक सेम्पल पर गोवंश मांस की उपस्थिति पायी गयी। प्रकरण अतिसवेंदनशील

प्रकृति का था। जिसमे अनुभाग द्वारा केस की सही दिशा प्रदान की गयी।

4. <u>जली हुई गाड़ी से मानव कंकालों का डीएनए परीक्षण</u> :–

   भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र में प्रकरण संख्या 24/23 में पुलिस को जली हुई बोलेरो गाड़ी मिली थी। जिसमें पूर्ण रूप से जले हुए दो नर कंकाल प्राप्त हुए। अनुभाग में पुलिस द्वारा कंकालों की शिनाख्त हेतु सेम्पल जमा करवाये गये तथा नजदीकी रिश्तेदारों से डी.एन.ए. मिलान करवाया गया। परीक्षण के दौरान पूर्णतया जली हुई हड्डीयों से नवीनतम तकनीकों के माध्यम से DNA Isolate किया गया तथा इन कंकालों की डी.एन.ए. प्रोफाइल तैयार करके उनके नजदीकी रिश्तेदारों से मिलान कर कंकालों की पहचान की गई। इसी केस से प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी से प्राप्त रक्त के डी.एन.ए. का मिलान भी दोनों कंकालों से किया गया जिससे यह साबित हो सका की उक्त वाहन का प्रयोग शवों के स्थानान्तरण में किया गया।

5. <u>डीएनए टेस्ट के बाद बच्चे को मिली मां की गोद</u> :–

   जयपुर शहर के सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में प्रसूता के परिजनों द्वारा अस्पताल प्रशासन पर बच्चे को बदलने का आरोप लगाया गया। इसके बाबत् लालकोठी थाने में शिकायत दर्ज करवायी गई। कार्यवाही में पुलिस ने प्रसूता व बच्चे के रक्त के नमूने अनुभाग में जमा करवाये गए। अनुभाग ने प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर ले कर एक/दो दिनों में ही डी.एन.ए. परीक्षण पूर्ण करके रिपोर्ट दे दी जिसमें प्रसूता को ही बच्चे की माँ होने की पुष्टि हुई। इसके बाद ही प्रसूता ने बच्चे को अपनाया इससे प्रसूता का झूठा दावा भी फेल हो गया तथा अबोध बच्चे को अपनी मां की गोद प्राप्त हो सकी।

विष प्रकरण :

1. <u>बहू द्वारा सास के खाने में जहर मिलाकर रची हत्या की साजिश का प्रकरणः–</u>

   मुकदमा नम्बर 19/2022, धारा – 174 CrPC, मुकदमा नम्बर 307/2022 धारा–302ए 120B IPC पुलिस थाना – मालवीय नगर, जिला – जयपुर (पूर्व), के प्रकरण में वृद्ध महिला की मृत्यु अचानक तबियत खराब होने से अथवा हृदयघात होने से माना जा रहा था। FSL में प्राप्त प्रादर्शों के रासायनिक परीक्षण पश्चात् एल्यूमीनियम फास्फॉइड जहर की पुष्टी हुई। इस प्रकरण के 302 में परिवर्तित होने पर प्रकरण से संबंधित अन्य प्राप्त प्रादर्शों के रासायनिक परीक्षण पर भी पूर्व परिणामों की पुनरावृति हुई जिससे बहू द्वारा सास को सब्जी में जहर मिलाकर मारने की FSLमें परिणामिक पुष्टि हुई।

2. <u>गुड़ की लप्टी के टैंक में घटित दुर्घटना का प्रकरणः–</u>

   मुकदमा नम्बर 65/2023, पुलिस थाना – रेनवाल मांझी, जिला जयपुर ग्रामीण के प्रकरण में प्राप्त विसरा प्रादर्शों में रासायनिक परीक्षण उपरान्त सल्फरडाईऑक्साइड गैस की उपस्थिति पायी गयी।

3. <u>मारपीट के संदिग्ध प्रकरण में ड्रग की पुष्टिः–</u>

   मुकदमा नम्बर 45/2023, पुलिस थाना – मुहाना, जिला –जयपुर (दक्षिण), के प्रकरण में 27 वर्षीय महिला के लड़ाई झगड़ा तथा मारपीट के प्रकरण में प्राप्त विसरा प्रादर्शों में रासायनिक परीक्षण उपरान्त क्लोरोक्वीन ड्रग की उपस्थिति पायी गयी जिससे अनुसंधान को एक नई दिशा प्राप्त हुई।

4. <u>मृतक को आत्महत्या का प्रकरण हत्या में तब्दीलः–</u>

   मुकदमा नम्बर 11/2022, पुलिस थाना – खेतड़ी नगर, जिला –झुन्झुनु, के अन्तर्गत प्राप्त विसरा प्रादर्शों में रासायनिक परीक्षण उपरान्त एल्यूमीनियम फास्फॉइड तथा ईथाइल एल्कोहल की उपस्थिति ने हृदयघात की संभावना को नकारते हुए अनुसंधान में सहायता प्रदान की।

5. <u>बिजनेसमैन की बेटी की फ्लैट के लिए हत्या या सुसाईडः–</u>

   प्रकरण संख्या 46/2023 पुलिस थाना– गाँधी नगर, जिला – जयपुर (पूर्व), के अन्तर्गत मृतका की संदिग्ध मृत्यु के प्रकरण में पितृपक्ष द्वारा ससुराल वालों पर दहेज के लालच में लात घूसों से पिटाई कर मारने का आरोप लगाया जा रहा था जबकि FSL में मृतका के विसरा प्रादर्शों व फर्द जब्तियों के रासायनिक परीक्षण के उपरान्त एल्यूमीनियम फास्फॉइड

जहर की उपस्थिति पाई गई जिससे अनुसंधान में सहायता प्राप्त हुई।

6. संदिग्ध अवस्था में मौत के प्रकरण में जहर की पुष्टि :–
पुलिस थाना– प्रतापनगर, जिला भीलवाडा, धारा 304B IPC प्रकरण में पीड़िता की मौत संदिग्ध अवस्था में होने पर परिजनों ने मृत्यु का कारण में संदेह जाहिर करने पर, इस से संबंधित विसरा प्रादर्शो को रासायनिक परीक्षण के लिए विष अनुभाग में जमा करवाया गया। रासायनिक परीक्षण पश्चात उक्तप्रादर्शो में Organophosphorous insecticide की उपस्थिति पाई गयी। इससे अनुसंधान एवं प्रकरण में उल्लेखनीय सहयोग मिला।

7. दहेज हत्या के संदिग्ध प्रकरण में जहर की पुष्टि :–
पुलिस थाना – मारोठ, जिला नागौर, धारा 498A, 304 B IPC प्रकरण में पीड़िता को दहेज के लिए परेशान करने पर संदिग्ध अवस्था में उसकी मौत होना बताया गया। संदेहास्पद मृत्यु के कारण उक्त प्रकरण में विष खण्ड में जमा विसरा प्रादर्शो में रासायनिक परीक्षण करने पर Organophosphorous insecticide की उपस्थिति बताई गयी। जिससे अनुसंधान को उचित दिशा मिली।

8. गैंगरेप संबंधी प्रकरण में पीडिता की हत्या उपरान्त कोयल भट्टी में शव जलाकर सबूत मिटाने का प्रकरण :–
पुलिस थाना कोटडी, जिला भीलवाडा, धारा 376घ 302ए 301ए 201ए 120B IPC & 5(G)/6 Pocso Act यह प्रकरण में पीड़िता का सामूहित बलात्कार कर हत्या उपरान्त आरोपीगणों द्वारा सबूत नष्ट करने के लिए, शव को कोयला भट्टी में जलाने से संबंधित था। प्रकरण में परिजनों द्वारा हत्या में संदेह जाहिरत होने पर इससे संबंधित विसरा प्रादर्शो को प्रयोगशाला के विष खण्ड में जमा करवाया गया। तत्पश्चात प्राप्त प्रादर्शो में रासायनिक परीक्षण के द्वारा Carboxyhaemoglobin की उपस्थिति पाई गई। यह प्रकरण गैंगरेप जैसे अतिसंवेदनशील मुद्दे से संबंधित था जिसे पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा के निर्देशानुसार अल्य समयावधि में परीक्षण कार्य पूर्णकर रिपोर्ट प्रेषित की गई। इस प्रकरण में Carboxyhaemoglobin की उपस्थिति देने के पश्चात यह सुनिश्चित किया गया कि पीड़िता की मृत्यु कोयले की भट्टी में डालने से पहले नहीं हुई थी। उक्त परीक्षण रिपोर्ट ने डपेपदह स्पदम की तरह कार्य किया एवं मृतका को न्याय दिलाने में सहयोग किया।

9. मारपीट के कारण अवसाद में आने से मौत के प्रकरण में जहर की पुष्टि :–
पुलिस थाना–क्रिश्चयनगंज, जिला अजमेर, धारा 174 Cr.P.C. प्रकरण में मृतक की मारपीट करने के कारण छाती पर आयी चोटो व अवसाद तथा मानसिक प्रताड़ना से मृत्यु होना बताया गया। परन्तु विष अनुभाग में जमा किये गये विसरा प्रादर्शो का रासायनिक परीक्षण करने पर Organophosphorous insecticide जहर की उपस्थिति बतायी गयी। जिससे पुलिस अनुसंधान को सहायता मिली।

प्रलेख प्रकरणः

1. अवैध विस्फोटक पदार्थ विक्रय संबंधी प्रकरण का परीक्षणः–
प्रकरण संख्या 181/2022, थाना–जावर माईन्स, जिला–उदयपुर के दस्तावेज A.T.S, SOG, Raj., Jaipur द्वारा परीक्षण हेतु प्राप्त हुऐ, इस चर्चित प्रकरण में अवैध रुप से बेचे जा रहे विस्फोटक पदार्थ के कृत्य में सम्मिलित व्यक्तियों से सम्बन्धित हस्तलेख एवं कूटरचित दस्तावेजों पर अंकित हस्ताक्षरों का मिलान कर अपराधियों की उक्त प्रकरण में सलिप्तता के सम्बन्ध में अनुसंधान हेतु महत्वपूर्ण राय प्रदान की गई।

2. मृतका द्वारा लिखित असामान्य नोट संबंधी प्रकरण का परीक्षण :–
प्रकरण संख्या 237/23, थाना– विज्ञान नगर, जिला– कोटा (शहर) में 05 Sticky Notes Slips प्राप्त हुई । मृतक के कमरे से असामान्य रूप से लिखित संदिग्ध 5 स्टिकी नोट्स स्लिप्स जब्त की गई, जिन पर सुसाईड नोट लिखा था। जब्त शुदा 5 स्टिकी नोट्स पर अंकित लिखावट का परीक्षण कर विशेषज्ञ राय प्रदान की।

3. <u>भर्ती परीक्षाओ में सक्रिय नकल गिरोह से जुडे अपराधियों का हस्तलिपि परीक्षणः–</u>
प्रकरण संख्या 19/22, थाना– SOG, Raj., Jaipurके दस्तावेज (एक डायरी) में भर्ती परीक्षाओं में बहुचर्चित प्रकरण में पेपर लीक के एवज में रुपयों के लेन देन से सम्बन्धित हस्तलेख का परीक्षण कर आरोपी अभियुक्त की प्रकरण में संलिप्तता के सम्बन्ध में अनुसंधान में राय प्रदान की ।

4. <u>महिला लैंगिक अपराधों से जुडे प्रकरणः–</u>
प्रकरण संख्या –340/22, थाना– दादाबाडी, जिला– कोटा (शहर) में राजस्थान टेक्निकल यूनीवर्सीटी कोटा की छात्रा द्वारा शिकायत की गई कि प्रोफेसर द्वारा परीक्षा में पास करने के ऐवज मे अनैतिक सम्बन्ध बनाने का दबाव बनाया गया । उक्त प्रकरण से जुडे दस्तावेज पर आरोपी एवं उसके सहयोगियों के हस्ताक्षर एवं लिखावट के सम्बन्ध में राय देकर अनुसंधान मे सहयोग किया। परीक्षण द्वारा पाया गया कि प्रोफेसर स्वयं द्वारा छात्र/छात्राओं की उत्तर पुस्तिका चैक न कर के स्वयं के छात्रो द्वारा चैक करवाते थे।

5. <u>जले हुए नोट करेन्सी नोटो का प्रकरणः–</u>
प्रकरण संख्या–745/23, थाना–ब्यावर सिटी, में आरोपीगण द्वारा वृहद स्तर पर जाती करेन्सी नोट छापे जा रहे थे। पुलिस दबिस के दौरान आरोपीगणों द्वारा सबूत मिटाने के उद्देश्य से जाली करेन्सी नोट, उपयोग में ली गई सामग्री, प्रिन्टर इंक कार्टिज इत्यादि जलाकर नष्ट किये गए। प्रलेख खण्ड एफ.एस.एल. द्वारा जले हुए अवशेषों में जाली करेन्सी नोट, इंक कार्टिज इत्यादि की पुष्टि कर महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये।

6. <u>बाल लैंगिक अपराधों (POCSO) से सम्बन्धित प्रकरणः–</u>
प्रकरण संख्या–337/22, थानाः– अजीतगढ जिल– सीकर में स्कूल छात्रा द्वारा अध्यापक पर POCSO की धाराओं के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कराया गया। पुलिस अनुसंधान में उक्त प्रकरण में जब्त शुदा पत्र पर आपत्तिजनक भाषा में अंकित लिखावट का आरोपी अध्यापक की लिखावट के होने के सम्बन्ध में राय प्रदान की गई।

7. <u>दहेज प्रताडना से सम्बन्धित प्रकरणः–</u>
प्रकरण संख्या–31/23, थाना–पिलानी, जिला–झुन्झुनू में दहेज प्रताड़ना सास ससूर से मानसिक प्रताड़ना से पेरशान होना अंकित कर सुसाईड नोट लिखा गया व उक्त सुसाईड नोट पर अंकित लिखावट का पीडिता की होने के सम्बन्ध में परीक्षण कर प्रकरण के अनुसंधान में विशेषज्ञ राय प्रदान की।

8. <u>चैक पर अंकित राशि में फेरबदल का परीक्षणः–</u>
थानाः–शिप्रापथ, जिला–जयपुर (दक्षिण) से प्रकरण संख्या–630/2022 में एक विवादित चैक प्राप्त हुआ। इस चैक पर पूर्व में अंकित राशि में अतिरिक्त अंक जोडकर राशि में परिवर्तन किया गया। प्रयोगशाला मे उपलब्ध अत्याधुनिक उपकरण VSC-8000 की सहायता से उपकरण प्रिन्ट्स सहित पुष्टि की गई कि पूर्व में अंकित राशि 30,000=00 के साथ छेड़छाड़ कर उसे 930,000=00 बनाया गया।

रसायन प्रकरणः

1. <u>अज्ञात केमिकल द्वारा जलाये जाने की घटना में पॉलिमर की पुष्टिः–</u>
थाना–सांगानेर सदर, जिला–जयपुर (दक्षिण), प्रकरण सं.–742/2022 धारा 326ए अंतर्गत अज्ञात केमिकल डालकर जलाये जाने की घटना में पीड़िताओं के कपड़े व स्किन स्वाब प्रादर्श के रूप में रासायनिक परीक्षण हेतु प्राप्त हुए। उक्त प्रादर्शों में सामान्य अम्ल व क्षार की उपस्थिति नहीं पाई गई। उक्त प्रादर्शों का गहन परीक्षण करने पर प्रादर्शों में पॉलिसायनो एक्राइलेट (सुपर–ग्लू) की उपस्थिति संबधी पुष्टि खण्ड द्वारा की गई। उष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण यह पॉलिमर मानव चमड़ी को जलाने में सक्षम है। यह ना कि देश का संभवतः विश्व का प्रथम ऐसा प्रकरण है जहां इस प्रकार के पालिमर का प्रयोग द्वेषपूर्ण मंशा से किसी महिला को जलाने/ नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया हो। इस परीक्षण रिपोर्ट की सहायता से अनुसंधान अभिकरण को अपराधी को पकड़ने के लिए जांच का दायरा सूक्ष्म करने में मदद मिली।

2. <u>अज्ञात केमिकल में फार्मेलिन के संघटकों की पुष्टिः—</u>
थाना—भिवाड़ी फेज तृतीय, जिला— भिवाड़ी प्रकरण सं.—38/2021 धारा 379, 407, 420, 120 आईपीसी के अंतर्गत परीक्षण हेतु प्राप्त प्रादर्शों (अज्ञात केमिकल) में रासायनिक व उपकरण परीक्षण पश्चात् फार्मेल्डिहाईड, मिथेनॉल व पानी (फार्मेलिन के संघटक) की पुष्टि संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। इस रिपोर्ट के माध्यम से अनुसंधान अभिकरण को प्रकरण के अनुसंधान में सहायता मिली।

3. <u>प्रादर्शों पर लगे मेंहदीनुमा पदार्थ के आपस में मिलान संबंधी पुष्टिः—</u>
थाना—चौमूं, जिला—जयपुर (पश्चिम), प्रकरण सं. —14/23, धारा 306 आईपीसी के अंतर्गत परीक्षण हेतु प्राप्त प्रादर्शों पर लगे मेंहदीनुमा पदार्थ के आपस में मिलान संबंधी राय हेतु प्राप्त प्रादर्शों का रासायनिक व उपकरण परीक्षण उपरांत प्रादर्शों पर लगे मेंहदीनुमा पदार्थ के रासायनिक रूप से एक समान होने की पुष्टि की गई।

4. <u>प्रादर्श पर लगे काले रंग के पदार्थ की पेंट से मिलान संबंधी पुष्टिः—</u>
थाना—एन.ई.बी., जिला— अलवर, प्रकरण सं. —74/23, धारा 457, 427, 380, 511 आईपीसी के अंतर्गत ए.टी.एम कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे पर उपस्थित काले रंग के पदार्थ का, संदिग्धों के पास मिले पेंट स्प्रे से मिलान संबंधी राय के साथ प्रादर्श के रूप में प्राप्त किये गये। रासायनिक व उपकरण परीक्षण पश्चात् प्रादर्शों पर लगे पदार्थ व पेंट स्प्रे के रासायनिक रूप से एक समान होने की पुष्टि की गई।

5. <u>चार हथकड शराब संभावित प्रकरणों में सोडियम हाइपोक्लोराईट की पुष्टिः—</u>
थाना—टपूकड़ा, जिला— भिवाड़ी, प्रकरण सं. —146/23, 154/23, 165/23, 169/23, धारा 16/54 एक्स एक्ट के अंतर्गत प्राप्त प्रादर्शों में एल्कोहल की उपस्थिति व मात्रा संबंधी राय चाही गयी। प्रादर्शों के रासायनिक व उपकरण परीक्षण उपरांत एल्कोहल की अनुपस्थिति व सोडियम हाइपोक्लोराईट की उपस्थिति की पुष्टि की गई। इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रकरण के अनुसंधान में नई दिशा प्राप्त हुई।

आर्सन एवं एक्सप्लोजिव प्रकरण :

1. <u>सामुहिक दुष्कर्म, हत्या के पश्चात् भट्टी में जलाने के प्रकरण में भट्टी से प्राप्त प्रादर्शों में हाइड्रोकार्बन ऑयल की पुष्टि :—</u>
थाना कोटडी जिला भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 183/23, धारा 376 डी, 302, 201, 120 बी भादस व धारा 5 (जी)/6 पोक्सो एक्ट प्रकरण में एक 14 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर कोयला पकाने की भट्टी में जलाने के प्रकरण में भट्टी से जब्त मृतका के बाल, चमड़ी व जले हुए कपड़े पेट्रोलियम हाईड्रोकार्बन के परीक्षण हेतु प्राप्त हुये। कुछ दिनों बाद उसी भट्टी से मृतका की हड्डियॉ कोयले व जले हुये अन्य कपड़े एवं मौके से जब्त एक पीपी भी परीक्षण हेतु प्राप्त हुई। उक्त समस्त प्रादर्शों में पेट्रोलियम जनित हाइड्रोकार्बन ऑयल की उपस्थिति की पुष्टि की जाकर अनुसंधान को उचित दिशा प्रदान की गई। उक्त प्रादश्रें के परीक्षण में वैज्ञानिकों द्वारा जटिल नवाचार परीक्षण प्रक्रिया अपनाई गई, फिर भी प्रकरणों की परीक्षण रिपोर्ट तीन से सात कार्यदिवस में दे दी गई।

2. <u>बायोडिजल के अवैध भण्डारण के प्रकरण में विविध रसायनों की पुष्टि :—</u>
थाना नसीराबाद सदर, जिला अजमेर प्रकरण संख्या 276/21, धारा 420, 285, 379/411, 120 बी भा.द.स. व धारा 3/7, 4/7, 7/8 ई सी एक्ट प्रकरण में पेट्रोलियम उत्पादों के अनाधिकृत व बिना समक्ष अनुज्ञापत्र के भंडारण के संबंध में एक होटल से जब्त 15 प्रादर्श बायोडीजल के परीक्षण हेतु प्राप्त हुये। उक्त प्रादर्शों में GC, GCMS, IRउपकरणों एवं अन्य जटिल भौतिक एवं रासायनिक परीक्षण प्रक्रिया के पश्चात् समस्त प्रादर्शों में बायोडीजल की उपस्थिति को नकारते हुये विभिन्न प्रकार के रसायनों जैसे कार्बोहाइड्रेडस, थैलेट्स, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति की पुष्टि की गई। जिससे अनुसंधान को एक नई दिशा प्रदान की गई।

3. <u>बीपीसीएल पाईपलाईन से चोरी के प्रकरण में डेढ़ माह बाद जब्त टैंकर के स्वाब मे पेट्रोलियम की पुष्टि :—</u>
थाना रवांजना डूंगर जिला सवाई माधोपुर प्रकरण संख्या 253/22, धारा 379, 285, 120

बी आई पी सी एवं पेट्रोलियम एवं खनिज पाईप लाईन अधिनियम 1962 संशोधन अधिनियम 2011 की धारा 15 (2) (3) (4)एवं 16 व 3 पीडीपीपी एक्ट एवं हाईस्पीड डीजल रेगुलेशन ऑफ सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ माल प्रेक्टिसेज आर्डर 1998 एवं धारा 3 राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादन (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण आदेश 1990) के प्रकरण में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की सतत् आपूर्ति हेतु बिछाई गई पाईप लाईन से करीब 5000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ की चोरी की घटना के प्रकरण में करीब डेढ़ माह पश्चात् जब्त पानी के टैंकर में लगे दो अलग अलग पाइपों से कॉटन स्बॉब परीक्षण हेतु प्राप्त हुआ। जिनका गैस कोमेटोग्राफ उपकरण पर परीक्षण किया गया एवं उनमें डीजल रेंज के पेट्रोलियम पदार्थ के अंश होने की पुष्टि की गई।

नारकोटिक्स प्रकरणः—

1. <u>मनस्प्रभावी पदार्थ में बेंजोडाईजेपाइन की पुष्टिः—</u>
   मुकदमा नं. 51/2022 धारा 328, 379, 411 आईपीसी थाना जी.आर.पी. फुलेरा पुलिस अधीक्षक जी.आर.पी. अजमेर के अंतर्गत प्रकरण में संदिग्ध के पास सफेद भूरे रंग का पदार्थ जब्त किया गया। उक्त प्रादर्श का रासायनिक व उपकरण विश्लेषण करने पर बेंजोडाईजेपाइन समूह का लोराजेपम पाया गया।
2. <u>स्मैक में मिलावट व मनस्प्रभावी पदार्थ की पुष्टि :—</u>
   मुकदमा नं. 184/2023, धारा 8/21, 8/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना विद्याधर नगर पुलिस उपायुक्त जयपुर (उत्तर) के अंतर्गत प्रकरण में हल्के भूरे रंग का पाउडर, जिसे स्मैक होना तथा भूरे रंग का दानेदार पदार्थ जिसे एम.डी.एम.एं होना बताया गया, उक्त प्रादर्शों का रासायनिक एवं उपकरण विश्लेषण करने पर एक प्रादर्श में स्मैक के स्थान पर अल्प्राजोलम तथा एम.डी.एम.ए. के स्थान पर मेथएमफीटामाइन पाया गया।
3. <u>मनस्प्रभावी पदार्थ में मेथएमफीटामाईन की पुष्टि :—</u>
   मुकदमा नं. 45/2023, धारा 8/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना जवाहर नगर पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर के अंतर्गत प्रकरण में सफेद व क्रिस्टलनुमा डलीदार पदार्थ जिसे मेफेड्रोन होना बताया गया, उक्त प्रादर्श का रासायनिक एवं उपकरण विश्लेषण करने पर मेफेड्रोन के स्थान पर मेथएमफीटामाइन पाया गया।
4. <u>स्मैक में टांके की पुष्टि :—</u>
   मुकदमा नं. 149/2023, धारा 8/21, 8/25, 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना सदर गंगापुर सिटी पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर के अंतर्गत प्रकरण में संदिग्ध के पास भूरे व सफेद रंग के पदार्थ जब्त किये गये, जिन्हे स्मैक होना बताया गया। उक्त प्रादर्शों का रासायनिक एवं उपकरण विश्लेषण करने भूरे प्रादर्श में स्मैक, कैफीन व पैरासिटामोल का मिश्रण तथा सफेद रंग का पदार्थ कैफीन व पैरासिटामोल का मिश्रण पाया गया जो स्मैक में मिलाने वाला टांका होता है।

अस्त्रक्षेप प्रकरणः—

1. <u>चर्चित राजेन्द्र उर्फ राजू ठेहट हत्या काण्ड संबन्धी प्रकरण :—</u>
   प्रकरण संख्या 816/2022 दिनांक 03.12.2022 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 396, 120बी आई. पी. सी. व 3/25, 7/25, 27 थाना उद्योगनगर, जिला सीकर के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में पिस्टल, जिन्दा कारतूस, कारतूस खोखा बुलेट, कपडो व स्वाब (कुल 268 प्रादर्श) परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में प्राप्त हुऐ जिस पर अस्त्रक्षेप सम्बन्धी जाँच की गयी एवं प्रकरण की महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।
2. <u>ज्वैलर की दुकानों पर डकैती प्रकरण :—</u>
   प्रकरण संख्या 130/2023 दिनांक 21.07.2023 धारा 147, 148, 149, 332, 353, 307, 412, 427, भा.द.स. व 3/25, 27 आर्म्स एक्ट थाना—रामगढ सेठान, जिला सीकर में पुलिस व डकैतों के आपसी मुठभेड में एक मुल्जिम की मृत्यु के संबंध के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में पिस्टल, जिन्दा कारतूस, कारतूस खोखा, बुलेट, स्वाब, कपडे व 02 बोलेरो कैम्पर गाडी परीक्षण

हेतु प्रयोगशाला में प्राप्त हुऐ जिस में अस्त्रक्षेपीय (Ballistics)जाँच कर महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट दी गयी।

भौतिक प्रकरणः

1. <u>बहुचर्चित एसओजी की निलंबित ए.एस.पी. दिव्या मित्तल घूस प्रकरण मे भौतिक अनुभाग एफएसएल जयपुर मे की गई ऑडियो फाइल मे काँट–छाँट / एडिटिंग व निरन्तरता का परीक्षण</u>:-
   भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान के प्रकरण संख्या –2023/13, धारा –7,7 A P.C. Act &120BI.P.C.मे परिवादी श्री विकास अग्रवाल की आरोपिया दिव्या मित्तल, आरोपी सुमित कुमार व अन्य से हुई वार्ता की रिकॉर्डिड ऑडियो फाइल्स का भौतिक अनुभाग द्वारा परीक्षण किया जाकर ऑडियो फाइल मे काँट–छाँट/एडिटिंग नहीं होने तथा सभी ऑडियो फाइल्स निरन्तर होने सम्बन्धी राय प्रदान कर रिपोर्ट जारी की गई, जिससे एसीबी राजस्थान को अनुसंधान मे विशेष सहयोग मिला ।
2. <u>एसीबी प्रकरण मे भौतिक अनुभाग ने पकड़ी ऑडियो फाइल मे अनिरंतरता (डिसकंटीन्यूटी)</u>:–
   भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान से सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण केसेज मे परिवादी व आरोपी के मध्य हुई मांग सत्यापन व रिश्वत लेन–देन की वार्ता की रिकॉर्डिड ऑडियो फाइल्स का भौतिक अनुभाग द्वारा परीक्षण किया जाकर ऑडियो फाइल मे अनिरंतरता होने सम्बन्धी राय प्रदान कर रिपोर्ट जारी की गई, जिससे एसीबी राजस्थान को अनुसंधान मे महत्वपूर्ण सहयोग मिला है।
3. <u>आवाज़ मिलान जाँच में फर्जी निकला रिश्वत की डिमांड का ऑडियो</u>ः–
   भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर के अन्तर्गत प्रकरण प्राथमिकी जांच–10/2023 विरुद्ध अधिकारीगण, प्रशासनिक कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक, उदयपुर में रिश्वत की शिकायत से सम्बन्धित प्रकरण में भेजे गये विवादित रिश्वत मांग सत्यापनऑडियो में उपलब्ध आवाज की जाँच संदिग्धआरोपी की नमूना आवाज से करने पर भौतिक अनुभाग द्वारा विवादित डिमांड के ऑडियो में उपलब्ध आवाज आरोपी की नही होने की पुष्टि की, जिससे प्रकरण को एक नई दिशा मिली ।
4. <u>बहुचर्चित शासन सचिवालय स्थित योजना भवन की सरकारी अलमारी मे मिली सोने (गोल्ड) की जांच</u>:–
   भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रकरण संख्या –2023/125,धारा –13(1)(B), 13(2) P.C. Act मे भेजी गई संदिग्ध गोल्ड की सिल्ली का परीक्षण भौतिक अनुभाग द्वारा किया जाकर रिपोर्ट मे सोने (गोल्ड) की पुष्टि की गई तथा साथ ही सोने (गोल्ड) की शुद्धता (प्युरिटी) से भी अवगत करवाया गया।
5. <u>सीकर के पलसाना मे तीन वाहनों की सड़क हादसे से भिड़ंत मे 12 व्यक्तियों की मौत के प्रकरण मे घटना का पुनर्निर्माण तथा तीनों वाहनों के मध्य टक्कर होने की घटना का क्रम का निर्धारण</u>:-
   भौतिक अनुभाग द्वाराएफआईआर नं. – 01/2023, धारा– 279, 337, 304AI.P.C., पुलिस थाना – खंडेला, जिला – सीकर से सम्बन्धित प्रकरण मे घटना का पुनर्निर्माण (Scene Reconstruction) कर घटना मे प्रयुक्त तीनों वाहन – बोलेरो पिकअप वाहन (रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ14GE2639), Lorry Truck with DTH Machine Compressor (बोरवेल मशीन) (रजिस्ट्रेशन नम्बर –RJ*23B1145) तथा मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन नम्बर –RJ23US1848) के मध्य हुई टक्कर की पुष्टि करने के साथ–साथ तीनों वाहनों की टक्कर/घटना का संभावित क्रम का निर्धारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिससे प्रकरण के अनुसंधान मे उचित दिशा मिली।

फोटो खण्ड प्रकरणः

1. <u>आरोपीयो द्वारा बम बनाने की विडियो में दिखाई देने वाले टुल्स/उपकरणों की जप्त किये गये वास्तविक टुल्स/उपकरणो से मिलान हेतु परीक्षण</u> :–
   FIR NO- RC-18/2022/NIA/DLI-150/2022 थाना– निम्बाहेडा, जिला–चितौडगढ़ के प्रकरणों में धारा – 4, 5 एवं 6 के विस्फोटक पदार्थ एक्ट 1908 सेक्शन 13, 15, 16, 18 & 20 of UA(P) एक्ट 1967 और 3/25 आर्म्स

एक्ट 1957 के अन्तर्गत आरोपियों द्वारा संगठित कूट–रचित योजना बनाकर रसायनिक बम्ब बनाने से लेकर विस्फोट करने का एक वीडियो बनाकर प्रशिक्षण देने से संबंधित प्रकरण में फोटो अनुभाग द्वारा वीडियो/सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाले सामान, कपड़े, रसायनिक पदार्थ, टूल्स, तकनीकी उपकरण, ग्लव्स, बर्तन, कारपेट व कार का मिलान कर अनुसंधान में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

2. महिला के साथ मारपीट, छेड़छाड़ व सोशल मिडिया पर अश्लील वीडियो/फोटो वायरल करने संबंधी फोटो मिलान परीक्षण :–

पुलिस थाना–निठाउआ, जिला–डूंगरपुर, अभियोग संख्या–50/2022, धारा–323, 341, 363 आईपीसी, 3/4 पोक्सो एक्ट एवं 67ए आईटी एक्ट के अंतर्गत आरोपी द्वारा पीड़िता की अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए गये। उक्त वीडियो में पीड़िता के फोटो मिलान संबंधी परीक्षण कर अनुसंधान में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

3. दहेज उत्पीड़न, मारपीट, नग्न स्थिति में जबरन घुमाने सं संबंधित सोशल मिडिया पर वायरल करने के संबंध में आरोपीयों की पहचान हेतु फोटो मिलान संबंधी परीक्षण :–

प्रकरण संख्या–267/2023, धारा–323, 341, 342, 365, 354, 354(ख), 294, 498ए, 504, 506, 509, 120बी आईपीसी, 4/6 स्त्री अशिष्ट नियंत्रण अधिनियम एवं 67 ए आईटी एक्ट थाना–धरीयावद जिला–प्रतापगढ़ के संबंध में पीड़िता को आरोपीयों द्वारा नग्न कर घुमाया गया और उसकी वीडियो बनाई गई। इस वीडियो में आरोपियों की पहचान कर फोटो मिलान संबंधी परीक्षण कर अनुसंधान में सहयोग प्रदान किया गया।

4. महिला एवं पुरूष के अश्लील फोटो को सोशल मिडिया पर वायरल किया गया जिनका कन्ट्रोल फोटो से मिलान हेतु परीक्षण :–

पुलिस थाना– शिप्रापथ, जिला–जयपुर (दक्षिण), मुकदमा नम्बर–42/2022 धारा–376, 354घ, 384 आईपीसी, 67 आईटी एक्ट एवं 11/12 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपी एवं पीड़िता के साथ में अश्लील फोटोग्राफ परीक्षण हेतु प्राप्त हुए। उक्त फोटो का मिलान आरोपी व पीड़िता के कंट्रोल फोटोग्राफ से परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिससे अनुसंधान में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।

5. स्कूल संचालक द्वारा छात्रा का यौन शोषण से संबंधित वीडियो में आरोपी व पिड़िता के फोटो मिलान का परीक्षण :–

प्रकरण संख्या–212/2021 धारा–366, 292(2)(सी), 376(2)(एन) आईपीसी एक्ट व 5एल एफ 16 पोक्सो एक्ट थाना–सुल्तानपुर जिला–कोटा ग्रामीण के अंतर्गत स्कूल संचालक द्वारा छात्रा का यौन शोषण से संबंधित वीडियो परीक्षण हेतु प्राप्त हुआ जिसमें आरोपी व पीड़िता के कंट्रोल फोटो से मिलान संबंधी परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिससे अनुसंधान में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।

6. कुट रचित विधि से आधार कार्ड में फोटो एडिटिंग कर प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले आरोपी का फोटो मिलान हेतु परीक्षण :–

प्रकरण संख्या–243/2022, धारा–419, 420, 467, 471, 120बी आईपीसी एवं 3/6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम द्वारा थाना–विद्याधर नगर जिला जयपुर उत्तर के अंतर्गत आरोपी द्वारा आधार कार्ड में फोटो परिवर्तन किया गया था, जिसका उसके कंट्रोल फोटो से मिलान कर परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जिससे अनुसंधान में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ

घटनास्थल निरीक्षण : महत्त्वपूर्ण प्रकरण

1. गोगामेड़ी हत्याकांड :–

एन.आई.ए. प्रकरण संख्या RC-02/2023/NIA/JPR दिनांक 11.12.2023 थाना–श्याम नगर जिला–जयपुर शहर (दक्षिण) के अन्तर्गत दिनांक–05.12.2023 को श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी (राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना) की उसके आवास पर अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त प्रकरण में मोबाईल फोरेंसिक यूनिट, जयपुर भाहर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने पर टीम द्वारा विभिन्न स्थानों से दो तरह के Cartridge cases तथा Bullets ढूंढ निकाले गये। घटनास्थल पर मिले Cartridge cases /Bullets / Damage Bullets/Metallic pieces के आधार पर घटना में दो प्रकार के हथियारों (Firearms) का उपयोग में लाना सामने आया। एफ.एस.एल. टीम द्वारा घटनास्थल पर मिले भौतिक साक्ष्यों Cartridge cases/ Bullets/ Damage Bullets/Metallic pieces के आधार पर पुलिस अनुसंधान में हथियारों व हमलावरों की संख्या/प्रकार निर्धारण करने में मदद मिली।

2. भीलवाड़ा भट्टी कांड :–

प्रकरण सं. 183/2023 दिनांक –03.08.2023, धारा– 376 डी, 302, 201 आईपीसी एवं 5 जी/6 पोक्सो एक्ट, पुलिस थाना–कोटडी जिला भीलवाडा थानाधिकारी कोटडी जिला भीलवाडा द्वारा एक नाबालिग लडकी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर कोयला भट्टी में जला कर हत्या कर देना तथा साक्ष्य छुपाने संबंधी ईत्तला पर एफ.एस.एल. टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने पर अवैद्य कोयला भट्टी में मानव हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए जो वजह सबुत होने से वास्ते जांच परीक्षण अनुसंधानकर्ता को सुपुर्द किये। तत्पश्चात घटनास्थल का गहन निरीक्षण करने पर मानव हड्डियां, एक धातु का कडा, जले हुए कपडों के अवशेष, जले हुए मानव शरीर के अवशेष मिले जिन्हे वास्ते जांच परीक्षण अनुसंधानकर्ता को सुपुर्द किये। घटनास्थल के आस–पास खेतों में गहन निरीक्षण करने पर चप्पल मिली जिसे अनुसंधानकर्ता को सुपुर्द किया गया। प्रकरण अतिगंभीर एवं बहुचर्चित मामला होने के कारण प्रकरण के घटनास्थल पर श्रीमान् निदेशक महोदय, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर एवं श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक महोदय, अजमेर रेंज द्वारा भी मामले का स्वयं संज्ञान लेकर मौका निरीक्षण किया गया।

3. पिता की फाँसी लगाकर आत्महत्या करना हत्या हुई साबित :–

मर्ग संख्या 23/2023 धारा–174 Cr.P.C.थाना–मालवीय नगर जिला–जयपुर सिटी (पूर्व) के अन्तर्गत दिनांक–26.09.2023को कुण्डा बस्सी–झालाना निवासी श्री राजू शर्मा की उसके घर पर फांसी लगाने से मृत्यु होने की सूचना उसके बेटे द्वारा दी जाकर आत्महत्या करना बताया।

मोबाईल फोरेंसिक यूनिट जयपुर (शहर) द्वारा दिनांक 26.09.2023 को घटनास्थल व शव (Dead body) का निरीक्षण किया गया। टीम द्वारा मौके पर मिले रक्त, शव के शरीर पर मिली चोटों, गर्दन पर मिले Multiple cross ligature mark, कपड़ों पर मिले रक्त एवं गले में मिली Double folded रस्सी के आधार पर वृद्ध पिता की आत्महत्या न होकर हत्या (Murder) होना सामने आया, फलतः पुलिस द्वारा प्रकरण का अनुसंधान इसी दिशा में किया जाकर मुलजिम(पुत्र) तक पहुंचने में मदद मिली एवं प्रकरण का खुलासा हुआ।

4. कानोता बांध में मिली युवती का हत्या कर डालना हुआ साबित :–

मुकदमा नं.–62/23, दिनांक–18.01.2023, धारा–363, 366, 302, 342, 201 आई.पी.सी., पुलिस थाना–प्रताप नगर, जिला–जयपुरशहर (पूर्व) के अन्तर्गत दिनांक–17.01.2023 से एक युवती के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज थी। दिनांक–01.02.2023 को कानोता बांध में एक युवती की कम्बल में लिपटी हुई लाश मिलना बताया।

मोबाईल फोरेंसिक यूनिट जयपुर (शहर) द्वारा दिनांक 01.02.2023 को घटनास्थल व शव (Dead body) का निरीक्षण किया गया। टीम द्वारा मौके पर मिले शव(Dead body) पर लिपटे कम्बल के पैटर्न, बालों में उलझा हुआ एक बैंगनी रंग का गांठ लगा दुपट्टा एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या कर शव को बांध में डालना सामने आया, फलतः पुलिस द्वारा प्रकरण का अनुसंधान इसी दिशा में किया जाकर मुलजिम तक पहुंचने में मदद मिली एवं प्रकरण का खुलासा हुआ।

5. रोड पर मिले युवक की संदिग्ध मृत्यु हत्या हुई साबित :–

मर्ग संख्या 18/2023, दिनांक–26.08.2023 धारा–174 Cr.P.C. थाना–शिवदासपुरा, जिला–जयपुर (दक्षिण) के अन्तर्गत दिनांक–26.08.2023को घटनास्थल बरखेड़ा के गोपीरामपुरा रोड पर एक व्यक्ति के शव मिलने की घटना होना बताया गया।

मोबाईल फोरेंसिक यूनिट जयपुर (ग्रामीण) द्वारा दिनांक 26.08.2023 को घटनास्थल व शव (Dead body) का निरीक्षण किया गया। टीम द्वारा मौके पर मिले रक्त, शव के शरीर पर मिले टायर इम्प्रेशन, शर्ट व बटन के टुकडे, गमछे पर मिले रक्त के छींटे, रोड पर मिले टायर इम्प्रेशन के आधार पर मृतक की हत्या होना सामने आया। फलस्वरूप पुलिस द्वारा प्रकरण का अनुसंधान इसी दिशा में किया जाकर मुलजिमों तक पहुंचने में मदद मिली एवं प्रकरण मुकदमा न.601/2023, दिनांक–04.09.2023, धारा–302, 201, आई.पी.सी.में दर्ज किया जाकर प्रकरण का खुलासा हुआ।

6. <u>वृद्ध महिला की संदिग्ध मृत्यु हत्या हुई साबित :–</u>

मुकदमा नं.–332/2023, दिनांक–12.09.2023, धारा–302, 392, आई.पी.सी., पुलिस थाना–शाहपुरा, जिला–जयपुर (ग्रामीण) के अन्तर्गत दिनांक–12.09.2023 को घटनास्थल वार्ड नं. 27 लेटकावास, भाहपुरा में एक वृद्ध महिला का भाव अपने घर पर(उपराक्त घटनास्थल) पर मिलना बताया गया।

मोबाईल फोरेंसिक यूनिट जयपुर (ग्रामीण) द्वारा दिनांक 12.09.2023 को घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। टीम द्वारा मौके पर मैटेलिक पलंग के नीचे फर्श पर मिले रक्त के आधार पर वृद्ध महिला की हत्या होना सामने आया फलस्वरूप पुलिस द्वारा प्रकरण का अनुसंधान इसी दिशा में किया जाकर मुलजिम तक पहुंचने में मदद मिली एवं प्रकरण का खुलासा हुआ।

7. युवक की हत्या, आत्महत्या हुई साबित :–
पुलिस थाना खेडली जिला अलवर के मुकदमा नम्बर 153/2023 धारा 302 आईपीसी के क्रम में मोबाईल फोरेंसिंक यूनिट द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया । मृतक का शव नियमित रूप से खडी होने वाली बस में पाया गया व परिजनो द्वारा हत्या का मामला दर्ज कराया गया । इस में लगभग 5 फुट 8 ईंच की उंचाई पर बंधी रस्सी, गॉठ की दिशा, नीचे सीट पर मिट्टी व मृतक के गले पर लिगेचर मार्क पाया गया । घटना स्थल इस में अन्य संघर्ष के कोई निशान नही पाये गये । उक्त तथ्यों के आधार पर आत्म हत्या की सम्भावना व्यक्त की गई । इससे अनुसंधान में सहयोग मिला ।

8. हत्या के प्रकरण में मूल घटना स्थल की पहचान–
पुलिस थाना उधोग नगर जिला अलवर के मु0न0 356/2023 धारा 302 आईपीसी के सम्बन्ध में मृतक का शव एमआईए ईलाके में सडक के किनारे झाडियों में ऑटो रिक्शा के साथ मिला । मौके पर फोरेंसिक युनिट द्वारा मूल घटना स्थल अन्य जगह होने की सम्भावना व्यक्त की गई । इसके उपरान्त मौके से ही मृतक के घर गॉव गोलेटा में निरीक्षण कार्य किया गया । मौके पर घर की फर्श ताजा धूली

हुई पाई गई । लेकिन चारपाई पर रक्त के छींटे, बाथरूम की दीवार पर रक्त के छींटे और पास में खाली प्लॉट में टुटी हुई लकडी पर रक्त की पहचान की गई ।

9. **हत्या के पुराने प्रकरण स्कॉर्पियों गाडी में रक्त के साक्ष्य की पहचान –**

पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर के मु0न0 375/2023 धारा 302 आईपीसी के सम्बन्ध में लगभग 15 दिन पुराने घटना स्थल का निरीक्षण किया गया । जो पहले रेल दुर्घटना समझ लिया गया था । बाद में अनुसंधान अधिकारी के निर्देशन में मोबाईल फोरेंसिक युनिट अलवर ने संदिग्ध स्कॉर्पियों में रक्त व संघर्ष के साक्ष्य एकत्रित किये ।

10. **सामुहिक आत्महत्या केस में एफएसएल टीम ने जुटाए महत्वपूर्ण साक्ष्य :–**

पुलिस थाना– मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर, प्रकरण संख्या–220/2023 धारा– 306, 120बी भा.द.स. के अन्तर्गत अनुसंधान अधिकारी द्वारा एक परिवार के 5 सदस्यों के शव एक ही मकान में मिलने के संबंध में सूचना दी गई एफ.एस. एल. टीम के घटनास्थल पर पहुँचने पर आंगन, कमरे व रसोई में चार शव फंदे पर लटकते व एक शव फर्श पर लेटी अवस्था में पाया गया।

मकान में शवों के पास सुसाइड नोट भी मिला इसके अतिरिक्त एफ.एस.एल. टीम द्वारा दो दिन लगातार घटनास्थल का निरीक्षण कर कई महत्त्वपुर्ण साक्ष्यों को जुटाने में मदद की गई तथा वैज्ञानिक दृश्टिकोण से विश्लेशण करते हुए घटनाक्रम में प्रयुक्त विभिन्न बिंदुओ जैसे कि suspension points तक पहुँचने का तरीका, क्रम, ligature प्राप्ति के source, suicide note, suicide noteलिखने हेतु काम में ली गई संभावित नोटबुक आदि जुटाये गए जिससे पूर्ण घटनाक्रम को आत्महत्या के रूप में सुनिश्चित

किये जाने में मदद मिली।

11. पत्नी द्वारा पति की हत्या में मिले साक्ष्य सजा में बने मददगारः–

पुलिस थाना – भिनाय, अजमेर, प्रकरण संख्या–31/2023, धारा– 302, 447 भा.द.स. के अन्तर्गत ग्राम नाहार बाबा का बाडिया (उदयगढ़खेड़ा) स्थित एक खेत में मृतक की पत्नी द्वारा पुरुष मित्र की सहायता से रात्रि को अकेले सो रहे एक व्यक्ति (पति) की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी।

मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट अजमेर द्वारा तत्काल इस गंभीर प्रकरण का निरीक्षण किया गया,जिसमे मृतक की शर्ट की कोलर के पास एक हाथ के अंगूठे/ अँगुली की कटी हुई (ONE BITE SITE SKIN PIECE OF FINGER TIP) का हिस्सा मिला जो संभवतया गला दबाने के संघर्ष के दौरान मृतक द्वारा हत्यारे के हाथ के अंगूठे/अँगुली को दांतों द्वारा काट लिया गया था। जो इस केस में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हुआ, जिनको उचित रूप से संकलित करवा कर डी.एन.ए. करवाने के निर्देश पुलिस को प्रदान किए गये थे। उक्त प्रकरण में दोषी को सजा हो चुकी है।

12. फायरिंग केस में मिले साक्ष्य हत्यारों को सजा दिलाने में बने महत्वपूर्ण कड़ी :–

पुलिस थाना – बनेड़ा, जिला– भीलवाड़ा, प्रकरण संख्या– 130/2023, धारा– 302 भा.द.स., 3(2)(V) SC/ST एक्ट के अंतर्गत प्रकरण में पुरुष मित्र द्वारा शादीशुदा महिला के साथ मारपीट कर पास स्थित पहाड़ी पर फायरिंग कर एवं पत्थरों से हत्या करने की घटना में घटनास्थल से महत्त्वपूर्ण साक्ष्य उचित रूप से संकलित करवा कर पुलिस को सुपुर्द किये।

फायरिंग के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण राय एफ एस एल टीम द्वारा दी गयी। जिससे हत्यारे को कड़ी सजा दिलाने में भी मदद मिलेगी। उक्त प्रकरण में दोषी को सजा दिलवाने हेतु कोर्ट में चार्जशीट पेश है।

13. पुलिस व तस्करों के बीच मुठभेड़, जिसमे तस्कर की मौत :—

पुलिस थाना—खिवाड़ा, पाली प्रकरण संख्या 127/23 धारा 279, 353, 307, 34 आईपीसी व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत पुलिस व तस्करों के बीच मुठभेड़ मे एक तस्कर की मृत्यु की घटना हुई। इस प्रकरण को मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट, जोधपुर व पाली द्वारा संयुक्त रूप से घटनास्थल पर पहुँचकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों रक्त,लोडेड 7.65 एमएम पिस्टल व 12—बोर बंदूक, खाली व जिंदा कारतूस, बुलेट हॉल व 12—बोर पेलेट के मार्क्स को खोजा गया। स्कोर्पियो वाहन के बोनेट व विंडस्क्रीन पर स्थित छेद के आगे के भाग मे क्षतिग्रस्त बुलेटों को रिकवर कर अनुसंधान मे सहयोग किया गया।

14. मोटर साईकिल को टक्कर मारकर हत्या की घटना :—

पुलिस थाना—मथानिया, जिला जोधपुर ग्रामीण प्रकरण संख्या 205/23 धारा 302, 307, 34 आईपीसी के अन्तर्गत एक स्कोर्पियो द्वारा मोटर साईकिल को टक्कर मारने से एक व्यक्ति की मृत्यु की घटना हुई। इस प्रकरण को मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट,जोधपुर द्वाराघटनास्थल पर पहुॅचकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों सड़क पर रगड़ के निशान, रक्त, स्कोर्पियो वाहन के अतिरिक्त बम्पर का भाग इत्यादि को खोजा गया। घटना मे प्रयुक्त स्कोर्पियो वाहन का भी निरीक्षण किया गया। स्कोर्पियो वाहन के अतिरिक्त बम्पर का दाहिनां भाग नही पाया गया। स्कोर्पियो वाहन की दांयी हेड लाईट टूटी हुई व बम्पर व जाली पर रगड़ के नि ाान पाये गये। उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर स्कोर्पियो द्वारा घटना करना सामने आया , जिससे अनुसंधान मे सहयोग किया।

लोडेड 7.65 एमएम पिस्टल व 12—बोर बंदूक, खाली व जिंदा कारतूस, बुलेट हॉल व 12—बोर पेलेट के मार्क्स को खोजा गया। स्कोर्पियो वाहन के बोनेट व विंडस्क्रीन पर स्थित छेद के आगे के भाग मे क्षतिग्रस्त बुलेटों को रिकवर कर अनुसंधान मे सहयोग किया गया।

15. मृतका की संदिग्ध मृत्यु में खोजे गये साक्ष्य बने उपयोगी :—

थानाधिकारी पुलिस थाना— अटलबंध जिला— भरतपुर, प्रकरण संख्या— 281/2023, धारा—304 बी के अन्तर्गत जसवंत नगर कालोनी के एक मकान में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितीयों में मृत्यु होने की घटना घटित होना बताया गया।

संदिग्ध कमरे के प्रवेश द्वार व खिड़की पर बाहर की ओर से किये गये आघातों का दृश्य।

संदिग्ध संदिग्ध घटनास्थल कमरे के बार मिले फावड़ा व कुदाल पर लगे सफेद रंग के पेन्टनुमा फोरेन मटेरियल का दृश्य।

घटनास्थल निरीक्षण के पश्चात जिस संदिग्ध घटनास्थल कमरे में मृतका का शव बताया गया के प्रवेश द्वार पर बाहर की तरफ से ताजा आघातों के साक्ष्य पाये गये तथा प्रवेश द्वार के पास स्थित खिड़की की धात्विक ग्रिल क्षतिग्रस्त पाई गई। कमरे के बाहर फावड़ा व कुदाल रखे हुए पाये गये। फावड़ा व कुदाल का निरीक्षण करने पर इनके धात्विक भाग पर सफेद रंग का पेन्टनुमा फोरेन–मटेरियल पाया गया। उक्त घटनास्थल निरीक्षण के पश्चात फावड़ा व कुदाल द्वारा खिड़की की धात्विक ग्रिल को क्षतिग्रस्त करने की संभावना निष्कर्श रूप में दी गई।

16. **चौपहिया लोडिंग वाहन पर मिले साक्ष्य एटीएम मशीन की नकबजनी खोलने में हुए उपयोगी :–**
पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना गोपाल गढ़ जिला डीग के पत्र क्रमांक 1977 दिनांक 30.09. 2023 की सूचना के आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक–05.10.2023 मु. नं. 110/2023 धारा 457,380 आई.पी.सी. दिनांक–03.09.2023 थाना गोपालगढजिला डीग से सम्बन्धित बताये गये चौपहिया वाहन के लोडिंग स्थान पर इलेक्ट्रोनिक उपकरण वाली मशीन को चढाने/चढाकर ले जाने के दौरान कुछ निशानात् आये व कुछ पेन्टनुमा पदार्थ लगा हुआ है।

संदिग्ध वाहन के लोडिंग भाग पर मिले सफेद रंग के पेन्टनुमा फोरेन–मटेरियल का दृश्य

इलेक्ट्रोनिक उपकरण के धात्विक बॉक्स पर मिले रगड़ के निशानातों का दृश्य।

चौपहिया वाहन के लोडिंग स्थान पर रगड़ के निशानात पाये गये तथा इन निशानातों के साथ सफेद रंग का पेन्टनुमा फॉरेन मटेरियल लगा हुआ पाया गया। पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस थाना गोपाल गढ़ जिला डीग के परिसर में धात्विक बॉडी युक्त एक इलैक्ट्रॉनिक उपकरण जिसे पुलिस अधिकारी द्वारा ATM मशीन होना बताया गया का गहनता से निरीक्षण किया गया। उक्त उपकरण की धात्विक बॉडी पर सफेद रंग का पेन्ट होना पाया गया तथा धात्विक बॉडी पर अत्यधिक मात्रा में रगड़ के निशानात पाये गये।अनुसंधान अधिकारी को चौपहिया वाहन के लोडिंग भाग पर मिले सफेद रंग के पेन्टनुमा फॉरेन मटेरियल, धात्विक इलैक्ट्रॉनिक उपकरण की बॉडी से लिये गये सफेद रंग के पेन्ट तथा घटना से सम्बन्धित अन्य प्रादर्शों को उचित प्रकार से संरक्षित कर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भरतपुर भिजवाने की सलाह मौके पर दी गयी।

17. फायरिंग में मिले महत्वपूर्ण साक्ष्यः– थाना–रानपुर, जिला–कोटा शहर, प्रकरण संख्या– 132/2023, धारा– 143, 307, 336, 120 बी भा.द.स. व 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 06/06/2023 की शाम को दो व्यक्तियों पर फायरिंग की घटना सामने आई। प्रकरण में दिनांक 07.06.2022 को मोबाईल फोरेंसिक यूनिट कोटा द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों रक्त, पेपर वेडस, छर्रे इत्यादि को खोजकर प्रकरण के अनुसंधान में सहयोग किया गया।

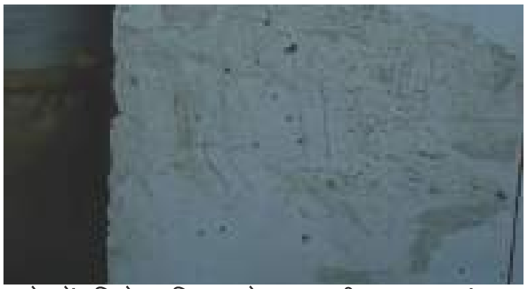

18. नाले में मिले महिला के शव की हत्या एवं मूल घटनास्थल का हुआ खुलासा :– थाना–रेलवे कॉलोनी, जिला–कोटा शहर, प्रकरण संख्या– 266/2023, धारा– 302, 201, 34 भा.द.स. में दिनांक 03/08/2023 को रेलवे कॉलोनी थानान्तर्गत एक महिला की नाले में लाश मिलने से संबंधित सूचना प्राप्त हुई। इस प्रकरण में दिनांक 03.08.2022 को मोबाईल फोरेंसिक यूनिट कोटा घटनास्थल पर पहुंची। महिला का शव पॉलीथीन व प्लास्टिक के कट्टे से ढका मिला व पॉलीथीन के ऊपर हरे रंग की रस्सी लिपटी हुई मिली। मृतक महिला के घर पर एक कमरे में 6 फीट लम्बा व 2 फीट चौडा गड्डा मिला, जिसमें खून से सनें तौलिए व पैरदान मिले। कमरे में हरे रंग की रस्सी का बंडल मिला। मकान के बाहर नाले तक घसीटनें/रगड के निशान मिलें। इस प्रकार महत्वपूर्ण साक्ष्यों को खोजकर प्रकरण को नई दिशा प्रदान की गई। पति व ससुराल वालों द्वारा घटना कारित करना सामने आया।

19. घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों के आधार पर हुआ फायरिंग का खुलासा :– थाना–दादाबाडी, जिला–कोटा शहर, प्रकरण संख्या– 26/2023, धारा– 307, 34 भा.द.स.में दिनांक 13/01/2023 की रात्रि में एक युवक पर फायरिंग हुई। इस प्रकरण में दिनांक 14.01.2023 को मोबाईल फोरेंसिक यूनिट कोटा द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्य रक्त, प्लास्टिक वेड, छर्रे इत्यादि को खोजकर प्रकरण के अनुसंधान में सहयोग किया गया।

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं का पता व दूरभाष

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान, जयपुर	
डॉ. अजय शर्मा, निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान नेहरू नगर, जयपुर,–302016	0141–2301584, 0141–2301859 (फैक्स), 9414301466 ई–मेल:director.fsl@rajasthan.gov.in
डॉ. संजय शर्मा, अतिरिक्त निदेशक(घटनास्थल एवं एफ.टी.आर.आई.), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान नेहरू नगर, जयपुर,–302016	0141–2990167, 7725963161 ई–मेल:addldirector.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर	
डॉ. शालू मलिक, प्रभारी अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला 8 मील चुंगी नाका, नागौर रोड,मण्डोर, जोधपुर–342304	0291–2577966, 2577259, 9783309066 ई–मेल:rfsl.jodhpur.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर	
डॉ. परमजीत सिंह, अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, फोरेंसिक हाऊस, चित्रकूट नगर, बुहाना–प्रतापनगर बाईपास, उदयपुर–313001	0294–2980133, 9460343351 ई–मेल: rfsl.udaipur.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोटा	
डॉ. राखी खन्ना, अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, फोरेंसिक हाऊस, आर.ए.सी. ग्राउण्ड, रावतभाटा रोड,कोटा–324009	0744–2401644, 2400644, 9529791877 ई–मेल: rfsl.kota.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर	
डॉ. वी. वेंकटेश, प्रभारी अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, 10वीं आर.ए.सी बटालियन के पीछे, करणी नगर, बीकानेर–334003	0151–2941555, 9414478543 ई–मेल: rfsl.bikaner.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर	
श्री राजवीर, अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जनाना हास्पिटल के सामने, सीकर रोड, अजमेर–305004	0145–2942581, 9414249466 ई–मेल: rfsl.ajmer.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भरतपुर	
श्री आर. के. मिश्रा, अतिरिक्त निदेशक,क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, ए–94 रणजीत नगर,भरतपुर–321001	05644–294390, 9414827236 ई–मेल: rfsl.bharatpur.fsl@rajasthan.gov.in

विशेष पहल एवं वर्ष 2023 की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

1. एफ.एस.एल राजस्थान द्वारावर्ष 2023 में कुल 44553 प्रकरणों का परीक्षण कर रिकार्ड स्थापित किया, जो किएफ.एस.एल राजस्थान के इतिहास मेंएक वर्ष में परीक्षण किये गये प्रकरणों का उच्चतम स्तर है।
2. यौन उत्पीड़न जैसे जघन्य अपराध विशेषकर पोक्सो प्रकरणों आदि के डी.एन.ए. प्रकरण के त्वरीत निस्तारण के लिए दिनांक 03.07.2023 को में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में डी.एन.ए. खण्ड ने कार्य प्रारंभ किया।
3. यौन उत्पीड़न जैसे जघन्य अपराध विशेषकर पोक्सो प्रकरणों को प्राथमिकता पर परीक्षण किया जा रहा है।

   विशेषतः शून्य से 12 वर्ष तक की आयु के अबोध बालक/बालिकाओं के साथ हुये दुष्कर्म प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर परीक्षण कर रिपोर्ट 5 से 15 दिवस में उपलब्ध करायी जा रही है। इन प्रकरणों में त्वरित डीएनए परीक्षण हेतु एक विशेष क्यूआरटी टीम का गठन किया गया है।
4. आई.सी.जे.एस. प्रोजेक्ट के अंर्तगत विकसित ई–फोरेन्सिक सॉफ्टवेयर पर एफ.एस.एल. राजस्थान के प्राप्त व निष्पादित प्रकरणों का डाटा अपलोड तथा समस्त आन्तरिक कार्यप्रणाली के समस्त फॉर्म, रजिस्टर आदि का डिजिटलाईजेशन कर ई–फोरेन्सिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही निकाले जा रहे है।
5. एफएसएल राजस्थान द्वारा अन्य राज्य की एफएसएल अधिकारियों को स्नैक वैनम जांच सम्बंधित प्रशिक्षण दिया गया।
6. सीसीपीडब्लूसी स्कीम के अन्तर्गत पोक्सो एक्ट के न्यायाधीशों का प्रशिक्षण करवाया गया।
7. केन्द्रीय जांच ऐजेन्सी जैसे एनआईए, सीबीआई व भारतीय सेना के प्रकरणों में फोरेंसिक जांच सुविधा उपलब्ध करवायी।
8. दूसरे राज्यों की परीक्षणशुदा प्रकरणों के वेलिडेशन इस प्रयोगशाला द्वारा करवाया जा रहा है। ?
9. नवीन Acustek TD-EXPERT उपकरण द्वारा भौतिक खण्ड में ऑडियो फाईल में आवाज के सत्यापन/कांटछांट संबम्धित परीक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया।

भविष्य की योजना

1. क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में डी.एन.ए., साईबर व नारकोटिक्स परीक्षण की सुविधा प्रारम्भ किया जाना है।
2. मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर में अतिआधुनिक साईबर फोरेन्सिक खण्ड हेतु पृथक भवन निर्माण करना।
3. मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर एवं अन्य संभाग स्तर पर नवगठित जिलों हेतु अतिरिक्त मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स का गठन किया जाना है।

झलक–2023

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर का निरीक्षण करते हुए गृह सचिव राजस्थान सरकार

प्रशिक्षु भारतीय प्रशासनिक अधिकारीयों को वैज्ञानिक साक्ष्यों की जानकारी देते हुए

लोक अभियोजको को वैज्ञानिक साक्ष्यों की जानकारी देते हुए वैज्ञानिक

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में नेपाल के पुलिस अधिकारी को वैज्ञानिक साक्ष्यो की जानकारी देते हुए वैज्ञानिक

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोटा

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला

गृह विभाग, राजस्थान सरकार

STATE FORENSIC SCIENCE LABORATORY

Home Department, Govt. of Rajasthan

Neharu Nagar, RPA Road, Jaipur-302016,
Phone 0141-2301584, Fax 0141-2301589
website:- www.home.rajasthan.gov.in/sfsl